

लखनऊ विकास प्राधिकरण की बैठक दिनांक 12-12-77 में

विवारणीय विषयों की सूची

बैठक स्थल : कार्यालय आयुक्त,
लखनऊ मण्डल,
लखनऊ ।

<u>क्रमांक</u>	<u>विषय</u>	<u>कहाँ</u>
मदस0-1 :	लखनऊ विकास प्राधिकरण के पुराने इन्हेस्टमेंट्स का प्रतिवेदन एवं डिफाल्ट के सम्बन्ध में।	- पृष्ठ - 1०
मदस0-2 :	अलीगंज मार्ग एवं नगर पुजार योजना में गृह निर्माणसमितियों की भूमि को अर्जन से मुक्त करने तथा शैकिलिक भूमि दिये जाने के सम्बन्ध में।	- पृष्ठ - १०
मदस0-3 :	विभागीय निर्माण ईकाई के गठन का अनुमोदन ।	- पृष्ठ - 20०
मदस0-4 :	ओल्ड पोस्ट आफिस में बन रहे बहुखण्डी भावन की जाँच के सम्बन्ध में ।	- पृष्ठ - 25०
मदस0-5 :	महानगर सूह योजना अर्थात् करामत मार्केट के सामने की दुकानों में से एक दुकान के आउटलेट हेतु प्रीमियम से मुक्त किये जाने के सम्बन्ध में ।	- पृष्ठ - 33०
मदस0-6 :	लेखा विभाग के पुर्नगठन के सम्बन्ध में।	- पृष्ठ - 34०
मदस0-7 :	लखनऊ विकास प्राधिकरण के बाहनों के रखरखाव हेतु के लिए वर्कशाप की स्थापना के सम्बन्ध में।	- पृष्ठ - 44०
मदस0-8 :	लखनऊ शहर के प्रमुख मार्गों पर स्थित भावनों के अग्रभागों की रंगाई एवं मरम्मत विषयक आख्या।	- पृष्ठ - 45०
मदस0-9 :	अध्यक्षा की अनुमति से अन्य महत्वपूर्ण विषय ।	- पृष्ठ - ...

विषय : तख्तक विकास प्राधिकरण के पुराने इन्डेन्टीटेड शृणों का प्रातिदाज एवं डिफाल्ट के सम्बन्ध में ।

तख्तक विकास प्राधिकरण की बैठक दि किं 30-11-77 की कार्य प्रधी के मद सं० 2 पर निर्णय अनुसार पुराने शासकीय शृणों के रिशेयूनिंग के सम्बन्ध में विस्तृत आज्ञा लिखवत है :-

तख्तक विकास प्राधिकरण की स्थापना दिनांक 13-9-74 को हुई थी अतः उस तिथि से पूर्व महापातिका द्वारा लिए गए शृणों (विकास कार्यों से सम्बन्धित) का उत्तरदायित्व प्राधिकरण पर आ पड़ा महापातिका द्वारा कुल शृण र० 1,56,69,475/- के लिए गए थे जिनका विवरण अनुसूचक 'क' पर दिया हुआ है । इन शृणों के विरुद्ध दिनांक 13-9-74 को अवशेष र० 138 लाख था, यहाँ यह उल्लेखनीय है कि 13-9-74 से पूर्व महापातिका ने तथा उसके पश्चात् 31-3-76 तक प्राधिकरण अपनी वित्तीय स्थिति ठीक व होने के कारण शृणों की वार्षिक किस्तों का भुगतान नहीं कर पाई/कर पाया । परिणामस्वरूप र० 79.06 लाख का वित्त (डिफाल्ट) हो गया जिसमें मूलधन र० 27.99 लाख तथा ब्याज धन र० 51.07 लाख था ।

वर्ष 1976-77 का मूल बजट जब माह जून 1976 में प्राधिकरण के सदन प्रस्तुत हुआ तो यह निर्णय लिया गया कि उस समिति (जो बजट के प्रविधानों की जाँच करने के लिए गठित की गई थी) शृणों की अदायगी एवं ब्याज के भुगतान के सम्बन्ध में भी समीक्षा करेगी । इस उप समिति के सदस्यों में एक सदस्य तत्कालीन विशेष अधिक वित्त भी थे इस उप समिति के जब उपरोक्त बजट माह अक्टूबर 1976 में प्रस्तुत किया तो अपनी संसुतियों प्रस्तुत की, प्राधिकरण के अपनी बैठक दिनांक 15-10-76 में यह निर्णय ले लिया कि 10 अंशों में 10 वर्ष में भुगतान किया जाये यथावत् शासन को सूचित कर दिया गया परन्तु शासन ने विस्मयित प्रवृत्ता भोगी :-

- (1) विकास प्राधिकरण तख्तक की मत तीस वर्षों की आवर्तक आय तथा व्यय का विवरण ।
- (2) यदि विकास प्राधिकरण, तख्तक की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है तो वे अपने संशोधन बढ़ाने के लिए क्या प्रयास कर रहे हैं । विशेष कि वे मध्य में शृणों के प्रातिदाज में रुझान हो रहे ।
- (3) रिशेयूनिंग करने पर वर्तमान शृण जये शृण माते जयेमें जिन पर विकास प्राधिकरण को इस प्रकृति दर से ब्याज देना होगा । क्या यह शर्त विकास प्राधिकरण को मान्य है ? यदि हाँ तो कृपया इस सम्बन्ध में विकास प्राधिकरण से प्रस्ताव पारित करवाकर उसकी एक प्रमाणित प्रतिलिपि भी भेजी जाय ।

अतः विषय पुनः प्राधिकरण की बैठक दिनांक 19-2-77 में रखा गया जिसमें प्राधिकरण की वित्तीय स्थिति पर पुनः विचार करने के पश्चात् निर्णय पूर्ववत् लिया गया , तदनुसार शासन को पुनः सूचित कर दिया गया शासन ने अपने पत्र संख्या 1546/37-1-5/73 दिनांक 12 दिसम्बर 1977 द्वारा यह सूचित किया कि जो सूचकिये शासन को भेजी गई हैं उनके अनुसार विकास प्राधिकरण की आर्थिक स्थिति ठीक है और वे शृण तथा ब्याज के प्रातिदाज में रुझान हैं । अतः के मुझा अतिदेय धारणा का भुगतान करने के लिए कहा । शासन ने ज्ञायद यह निर्णय अनुसूचक 'ख' में प्रदर्शित वित्तीय स्थिति के अनुसार लिया होगा, क्योंकि यह अनुसूचक शासन के ओदशानुसार उसको भेजा गया था, परन्तु स्थिति यह है कि 1976-77 के अन्त में अंतिम शेम जो र० 250.87 लाख आया है उसमें से राजस्व का र० 140 लाख है, तथा शेष शृण/अनुदाज का शेम है इस धरणा में र० 142 लाख (लगभग)

अलोगन्य योजना की आय से सम्बन्धित है। यह आय मूण्डों तथा बकायों के विक्रय से सम्बन्धित है। इस संदर्भ में यह उल्लेखनीय है कि इस योजना के अन्तर्गत (भूमि अर्जन, विपणन एवं आवासीय) शासन एवं हडको से मृण लिए गए हैं जिसका अवशेष 31-3-77 को ₹ 173.34 लाख है। जिसके मूलधन के प्रतिदाता एवं आज के भुगतान का दायित्व लगभग ₹ 50 लाख वर्ष 1977-78 का है।

कृपया प्राधिकरण मूलबजट (1977-78) के आय की स्थिति (30-9-77 तक) जो मद सं 13 द्वारा प्राधिकरण को प्रस्तुत की जा रही है, का अवलोकन करें जिसको देखने के पश्चात् यह स्पष्ट हो जायेगा कि आय की स्थिति संतोषजनक नहीं है।

शासनादेश दिनांक 12-9-77 के अनुसार शासन को वित्तिय धराराशि का एक मुश्किल भुगतान पर निर्णय लेने से पूर्व निम्नलिखित बातों पर प्राधिकरण को विचार करना आवश्यक है।

(क) इस समय प्राधिकरण की आय की गति अति धीमी है तथा पिछले वर्ष की अवशेष धराराशि (राजस्व) के आर्वतक जैसे मृणों पर ब्याज आदि का भुगतान करना है। उदाहरणतया शासन को ₹ 22.50 लाख ब्याज की प्रथम किस्त का भुगतान सीडकैपिटल ₹ 2.50 करोड़ किया गया है।

(ख) इन्डस्ट्रीयल मृणों पर ब्याज की दर 4.5% से $6\frac{3}{4}\%$ तक है। यदि उपरोक्त मृणों (जैसे सीडकैपिटल, 9% ब्याज दर पर, डिवेलपर्स 9.5% ब्याज दर पर, अन्य मृण भी लगभग इसी ब्याज दर पर लिए गए हैं) से उपरोक्त धराराशि का भुगतान किया जाता है तो यह प्राधिकरण के हित में नहीं होगा।

(ग) प्राधिकरण एक व्यावसायिक संस्था है जिसका मुख्य उद्देश्य प्राप्ता मृणों से स्थापित सम्पत्तियों पर अम्न आर्जेत करना है, उपरोक्त धराराशि को यदि रिवात्त किया जाय तो प्राधिकरण को अधिक लाभ होसकता है।

(घ) आय की स्थिति इस वर्ष ठीक नहीं होने के कारण यदि उपरोक्त आय में से उपरोक्त धराराशि का भुगतान किया जाता है तो अन्य मृणों के मूलधन का प्रतिदाता एवं उन पर ब्याज के वित्तिय होने की संभावना भी हो सकती है, क्योंकि इन्डस्ट्रीयल मृणों पर ब्याज की दर 4.5% से $6\frac{3}{4}\%$ तक है जब कि इन मृणों पर ब्याज की दर नहीं अधिक है।

(ङ) इस वर्ष (1977-78) प्राधिकरण को मृणों के मूलधन के प्रतिदाता एवं आज पर कुल धराराशि लगभग ₹ 128.64 लाख का भुगतान करना है जिसके वित्तिय में ढण्ड ब्याज भुगतान करना पड़ सकता है जिसका प्रभाव अगले वर्षों में भी पड़ेगा।

अतः उपरोक्त परिस्थितियों को दृष्टिगत रकते हुए यदि प्राधिकरण वित्तिय धराराशि की रिशेडयूनिंग की को शासन से स्वीकृति ले ले तो इस संस्था के हित में होगा तथा इसकी वास्तु योजनाएं भी प्रभावित नहीं होगी।

(को. बी. ए. ए. ए.)
मुख्य लेखा अधिकारी,
प्राधिकरण के समक्ष प्रस्तुत
करें।
साक्ष्य

LUCKNOW DEVELOPMENT AUTHORITY

पृष्ठ - 3

STATEMENT SHOWING RECURRING/NON RECURRING INCOME/EXPENDITURE FOR THE LAST THREE YEARS.

अनुसूचित "पट" II

Year	Opening Balance	Recurring Income	Non recurring Income (including suspense Account)	Total Income	Recurring Expenditure	Non Recurring Expenditure (including A/c)	Total Expenditure	Closing Balance
1974-75	64,77,638	64,51,041	1,11,39,857	1,75,90,898	61,76,655	94,73,554	1,56,50,209	84,18,227
1975-76	84,18,327	1,87,23,504	2,52,73,489	4,29,96,993	1,24,32,163	2,39,30,938	3,73,63,101	1,50,52,219
1976-77	1,50,52,219	2,87,41,020	6,27,67,557	9,15,08,577	1,98,04,103	6,16,68,887	8,14,72,990	2,50,87,806

SD/-
Mukhya Lekha Adhikari
Lucknow Vikas Prachikaran, Lucknow.

Attested
Accountant

लखनऊ विकास प्राधिकरण का दौक हेतु आख्या

विषय: अलोगैज मार्ग एवं नगर प्रसार याचना में निम्न लिखित गृहनिर्माण समितियों को भूमि दिये जाने के विषय में निर्णय लिये जाने हेतु।

विवरण:

अलोगैज मार्ग एवं नगर प्रसार योजना वर्ष 1961 में निर्मित होकर नगर नहापालिका अधिनियम को धारा 357 के अर्न्तगत दिनांक 17-3-62 को प्रकाशित करे गई थी तथा अधिनियम को धारा 358 के अर्न्तगत इस योजना से प्रभावित सभी भू-स्वामियों को इस अणाय से नोतीश प्रेषित करे गई कि यदि इस संबंध में उन्हें कोई आपत्तियाँ हो तो वे नोतिश प्राप्त करने के दोहा माह के अंदर अपना आपत्ति नगर नहापालिका कार्यालय में दे दे नगर नहापालिका को विकास समिति ने अंततः अज्ञेय दिनांक 30-1-64 में सभी आपत्तियों पर विचार करने के उपरान्त प्रस्ताव संख्या 15 के द्वारा योजना पारित कर दिया ~~चूंकि~~ ~~प्रस्ताव~~ ~~सं~~ ~~0~~ ~~83~~ ~~दिनांक~~ ~~10-3-65~~ ~~के~~ ~~द्वारा~~ ~~पारित~~ ~~कर~~ ~~दिया~~ ~~चूंकि~~ ~~योजना~~ ~~को~~ ~~लगत~~ ~~10~~ ~~लाख~~ ~~रु~~ ~~से~~ ~~अधिक~~ ~~था~~ ~~अतः~~ ~~योजना~~ ~~शासन~~ ~~को~~ ~~स्वीकृति~~ ~~प्राप्त~~ ~~हेतु~~ ~~पारित~~ ~~कर~~ ~~दा~~ ~~गई~~ ~~था~~ । शासन को स्वीकृति के पश्चात वर्ष 1969 में ही योजना नगर नहापालिका अधिनियम को धारा 363 के अधीन प्रकाशित कर दा गई थी।

इस योजना में कुछ गृह निर्माण समितियों को भूमि पड़ती है जिसे दोहने का विषय विगत कई वर्षों से नहापालिका विकास प्राधिकरण के विचार अधीन रहा है। इस संबंध में स.स. स.स. पर नहापालिका के प्रस्ताव हुए हैं जिसमें कुछ प्रस्ताव नहापालिका ने प्रस्ताव सं० 68 दिनांक 20-1-70 के पारित किया। जिसको प्रति परिशिष्ट (क) पर संलग्न है।

योजना का कार्यालयन वर्ष 1973 में प्रारंभ हुआ है। अवधि में उपरोक्त प्रस्ताव के प्रथम प्रसार में 25% विकसित भूमि दिया जाना विधानमंडल द्वारा गैरमानक विकास कृति में दोहने का विषय के कारण 25% विकसित भूमि दिया जाना विभाग के हित में नही था & योकि योजना को इकाईस मुताबिक 25% विकसित भूमि देने में विभाग को हानि था अतः नहापालिका ने उक्त प्रस्ताव पर पुनः विचार किया तथा प्रस्ताव सं० 68 दिनांक 20-1-70 को निरस्त करते हुए प्रस्ताव सं० 88 दिनांक 8-2-74 पारित कर दिया। परिशिष्ट (ख)

प्रत्येक गृह निर्माण समिति का संश्लेषित विवरण निम्न प्रकार है:-

अलका पुरी गृह निर्माण समिति:

समिति को और ट्रेडिंग तिथि 16-3-64

सदस्यों को सूचना विवरण उपलब्ध नहीं है

भूमि का अर्जन की तिथि 21-10-64 से 30-12-68

भूमि का क्षेत्रफल 14 दौ0- 6 दिखाना-ओ0 के0

इस विभाग को दिनांक 5-3-65 को सर्व प्रथम मुन्ना अलका पुरो हाउसिंग सोसाईटी से एक पत्र प्राप्त हुआ जिसमें उन्होंने विभाग को सूचित किया कि उन्होंने ग्राम फतेपुर स्थिति अलका संख्या 237, 44 से 46, 254 से 258, 64 69 खरोद लिया है इसका क्षेत्रफल 14 बोधा बिसवा 13 बिसवसो है । अतः इसे योजना से मुक्त कर दिया जाये जिसके उत्तर में उक्त सोसाईटी को इस विभाग को पत्र संख्या टो0 124/दिनांक 15-6-77 के द्वारा सूचित किया कि चूंकि प्रश्नगत भूमि उपरोक्त योजना के प्रकाशन के अर्थात् दिनांक 17-3-62 के उपरान्त खरोदो यह है अतः इसे अर्जन कार्यवाही से मुक्त नहीं किया जा सकता है । इसके बाद प्रश्नगत भूमि की अर्जन से मुक्त करने के लिये अनेक प्रार्थना पत्र इस विभाग को प्राप्त हो रहे हैं और तथा शासन के माध्यम से भी गैर प्रोटेशन इस सोसाईटी को ओर से प्राप्त हुये परन्तु प्रत्येक प्रोटेशन का उत्तर उपरोक्तानुसार दिया जाता रहा है अतः मैं महापालिका के प्रस्ताव संख्या 68 दिनांक 20-1-70 के अन्तर्गत अलकापुरो गृह निर्माण समिति एवं नगर महापालिका के बीच दिनांक 25-1-71 को एक अनुबंध हुआ परन्तु प्रश्नगत प्रस्ताव संख्या 68 में संशोधन हो जाने के कारण उक्त प्रस्ताव का कार्य नहीं हो सका । बाद में महापालिका के प्रस्ताव संख्या 88 के अन्तर्गत अगो तक इस सोसाईटी से कोई अनुबंध नहीं हो सका है महापालिका को अलका पुरो गृह निर्माण समिति को भूमि का कच्चा विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारों के माध्यम से वर्ष 1972-73 में प्राप्त हो गया था बाद में योजना के अन्तर्गत उपलब्ध सभी भूखण्डों को जिसमें को प्रश्नगत सोसाईटी को भूमि पर स्थिति भूखण्ड को भी शामिल थे लाटरो द्वारा सन् 1974 में आवंटित कर दिये गये । अब अलकापुरो गृह निर्माण समिति ने प्रतिकार लेने हेतु सलहनामा फर्म भर कर विकास प्राधिकरण के कार्यालय में दिनांक 24-2-77 को दे दिया है जिसको अन्तर्गत रु0 6999पैसे प्रति वर्ग फुट के हिसाब से प्रति वर्ग भूगतान करने का प्रावधान है इसके भुगतान हेतु कार्यवाही को जा रहा है ।

सोसाईटी को सदस्यों ने कुछ समय पूर्व माननीय स्यादत शान मंत्री को से मिले

के और उन्होंने 53 भूखंडों को मांग को है ।

नरेंद्र नगर कोऑपरेटिव सैरिंग सोसाइटी

1-	रजिस्ट्रेशन नम्बर	1937
2-	सोसाइटी के रजिस्ट्रेशन की तिथि	12-8-60
3-	सदस्यों की संख्या	
4-	भूमि क्रय करने की तिथि	4-12-62 से 4-4-72 तक
5-	भूमि का क्षेत्रफल	16 बोधा 18 बिस्वा 5 बिसवान्सो

नरेंद्र नगर कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी का सर्व प्रथम पत्र दिनांक 2-अक्टूबर 1963 को नगर महापालिका को प्राप्त हुआ जिसमें कुछ जमीन गृह निर्माण करने हेतु अर्जन से मुक्त करने की प्रार्थना की गई थी इनके प्रार्थना पत्र पर महापालिका ने अपने प्रस्ताव संख्या 183 दिनांक 10-3-1965 द्वारा यह निर्णय लिया कि योजना प्रकाशन से पूर्व जितनी भूमि सोसाइटी ने क्रय कर ली है उसे योजना से बाहर दिया जाये । सोसाइटी इस उक्त प्रस्ताव के संदर्भ में जानकारी मांगी गई थी जो लम्बे अर्से तक सोसाइटी से प्राप्त नहीं हो सकी पत्रावली देखने से पता चलता है कि वास्तव में सोसाइटी ने योजना दिशापत्र के पश्चात वर्ष 1962 में 9 बोधा 0 बिस्वा 15 बिसवान्सो भूमि क्रय की थी बाद में 1973-74 में सोसाइटी के कुछ सदस्यों ने अपनी भूमि जिसका क्षेत्रफल 7 बोधा 17 बिस्वा 10 बिसवान्सो को सोसाइटी के पक्ष में हस्तारित कर दिया इस प्रकार से अब सोसाइटी के पास 16 बोधा 18 बिस्वा 5 बिसवान्सो 0 बिसवान्सो भूमि है ! महापालिका के तथा सोसाइटी के बीच इसी प्रकार की कोई झूझझप प्रस्ताव संख्या 68 दिनांक 8-2-74 के अनुसार नहीं हो सका महापालिका के प्रधान संख्या 88 दिनांक 8-2-74 के द्वारा इनसे सम्बन्धित महापालिका के प्रस्ताव संख्या 183 दिनांक 10-3-75 सुपर लोड कर दिया गया । यह सोसाइटी अपनी भूमि का 25% विकसित भूमि उसी स्थान पर मांग रही है जहाँ पर को उसकी भूमि है ! परन्तु जो भूमि सोसाइटी को थी उस पर भूखण्ड बना कर उनका आवंटन लाटरी द्वारा कर दिया गया है । अतः उस जगह कोई भूमि दिया जाना अब सम्भव नहीं है सोसाइटी अपनी भूमि का रु 0-6999 पैस प्रति वर्ग फुट की दर से मुलहनामा के आधार पर उन छत्तरी को जिनके एवार्ड पहले हो थाहित कर दिये गये थे बाँट कर मुआवजा प्राप्त कर सकते हैं । साथ ही

-:- 4 - :-:-

सोसाईटो को भूखण्ड को मांग पर भी विचार करना है ।

श्रीपुर सहाकारी गृह निर्माण समिति ::

1- रजिस्ट्रेशन संख्या	1994
2- रजि स्टेशन तिथि	10-2-67
3- सदस्यों को संख्या	14
4- भूमि क्रय करने की तिथि	15-4-69
5- भूमि का क्षेत्रफल	2 बी० 2 बी० 00के

सोसाईटो ने वर्ष 1967 में फतेहपुर गांव स्थिति भूमि जिसका खसरा नं० 221 4, तथा क्षेत्रफल 2 बीघा 2बिस्वा था खरोडो इस गृह निर्माण समिति ने 1967 में भू भाग का सब डिवोजन प्लान मुम्बई नगर एवं ग्राम नियोजक के यहाँ प्रस्तुत किया था जिस पर उन्होंने तकनीकी आपत्ति रहित पत्र दिया था परन्तु भूमि जिसके स्थिति नक्सा जमा किया गया था वह असोर्गेज योजनाकी अंतर्गत आती थी जिसका नोटिफिकेशन दिनांक 17-3-62 की चुका था इस संस्था ने 1967 में श्री जगदोश चंद्र जोशी से अपने पक्ष में भूमि हस्तांतरित करवाई थी जिससे 1966 में श्री जगदोश चंद्र जोशी ने अपने नाम से खरोदा था ।

इस संस्था में भूमि को अर्जन को कोर्येवार्ही से मुक्त करने हेतु दिनांक 28-1-1968 में प्रार्थना पत्र दिया था चूंकि विषय महापालिका द्वारा पारित प्रस्ताव एवं नोटिसों के अनुसंधान नही था अतः इनको भूमि अर्जन कार्य से मुक्त करना सम्भव नही ही परन्तु बाद में महापालिका के प्रस्ताव संख्या 88 दिनांक 8-2-74 के अंतर्गत भी इस सोसाईटो के साथ कोई अनुबंध नही हो सका यहाँ यह उल्लेखनीय है कि प्रसंगत सोसाईटो को भूमि के अधिकतर भाग पर अनाधिकृत अतिक्रमण है जिसे धारो कर सकता अब सम्भव प्रतीत नही होता । अतः इनके विषय में केवल उतनी भूमि पर विचार विमर्श किया जा सकता है जितनी इस समय धारो है । प्रसंगत सोसाईटो भी अपनी भूमि के स्वज में भूमि को मांग कर रही है ।

लखनऊ विश्व विद्यालय सहाकारी गृह निर्माण समिति

1- सोसाईटो का रजि स्टेशन नम्बर	
2- सोसाईटो की रजि स्टेशन तिथि	
3- सदस्यों को संख्या	
4- भूमि क्रय करने की तिथि	25-12-73
भूमि का क्षेत्रफल	3 बीघा 19 बिस्वा 0बिस्वाफतो 0 क्वचरफतो

लखनऊ विश्व विद्यालय सहाकारो गृह निर्माण समिति ने सर्व प्रथम दिनांक 8-8-72 को एक पत्र नगर अभियंता विकास को भेजा जिसको द्वारा सूचित किया कि असोर्गज योजना के ग्राम फतेहपुर में 3 बीघा 19 बिस्वा 0 बिस्वान्सो 0 कचवान्सो भूमि श्री राम कुमार अग्रवाल से उन्होंने सन् 1972 में ख़रीद कर ली है जिसका समिति ने श्री अग्रवाल को अंतिम भुगतान कर दिया है । तथा उन्होंने इसे योजना से मुक्त करते हुये समिति के पक्ष में आवंटित करने को प्रार्थना की है ।

यहाँ यह उल्लेखनीय है श्री राम कुमार अग्रवाल ने महापालिका के प्रस्ताव संख्या 68 दिनांक 20-1-77 को प्रथम शर्ती के अनुसार जिसमें विकास मूल्य देकर 50% भूमि बौद्धि जाने का प्राविधान था इस विभाग से अनुबंध कारक रू 16,000/- आंशिक विकास मूल्य जमा कर चुके थे परन्तु उन्होंने उपरोक्त विषय में शेष धनराशि जमा करने के बजाय जमों की विश्वविद्यालय सहाकारो गृह निर्माण समिति के हाथ देव दिया । अब स्थिति यह है कि प्रसंगत भूमि का कच्चा विशेष भूमिउत्पत्ति अधिकारो द्वारा नगर महापालिका /विकास प्राधिकरण को प्राप्त हो चुका है तथा इस पर 2 कमरे वाले भवनों का निर्माण हो चुका है ।

प्रसंगत सोसाईटो अपनी कथित भूमि को मुक्त कराना चाहती है परन्तु उक्त परिस्थितियों में उनकी भूमि मुक्त करना सम्भव नहीं है । सोसाईटो अपनी भूमि का मुआवजा 0-6999 पैसे प्रति वर्ग फुट की दर से ले सकती है तथा इसे श्री अग्रवाल के द्वारा जमा किया गया 16,000/- वापस किया जा सकता है ।

उपरोक्त के अतिरिक्त निम्नलिखित और भी भवन गृह निर्माण समितियों ने अपने पक्ष में भूमि बौद्धिने को प्रार्थना की थी जिसमें से अधिकतर समितियों ने अपना मुआवजा उठा लिया है । इन सोसाईटियों ने अभी तक पूर्ण विवरण भी नहीं दिया है और न ही भूखंडो को मांग को है ।

क- प्रवीन भवन निर्माण कोआपरेटिव सोसाईटो

ख- बंधु सहाकारो गृह निर्माण समिति

ग- आजाद सहाकारो गृह निर्माण समिति

घ- नन्द विलसम सहाकारो गृह निर्माण समिति

ङ- लखनऊ जन कल्याण सहाकारो गृह निर्माण समिति

च- पुरनिया गृह निर्माण सहाकारो निर्माण समिति ,

ब- श्री चन्द्र शंकर आजाद सहाकारो गृह निर्माण समिति

:- 6 - :-

क- प्रबोन भवन निर्माण कोआपरेटिव सोसाईटी

- | | |
|---------------------------|----------------------|
| 1- रजिस्ट्रेशन संख्या | 1861 |
| 2- रजि स्टेशन को तिथि | 13-6-83 |
| 3- सदस्यों को संख्या | विवरण उपलब्ध नहीं है |
| 4- भूमि क्रय करने को तिथि | 6-4-72 |
| 5- भूमि का क्षेत्रफल | 6 बोधा 16 विस्वा |

जमोन का घुआवजा ले लिया गया है

लखनऊ जन कल्याण सहकारी गृह निर्माण समिति

- | | |
|---------------------------|--|
| 1- रजि स्टेशन संख्या | 2036 |
| 2- रजि स्टेशन को तिथि | 19-12-70 |
| 3- सदस्यों को संख्या | 23 |
| 4- भूमि क्रय करने को तिथि | सोसाईटी के पक्ष में भूमि रजिस्टर्ड नहीं है |
| 5- भूमि का क्षेत्रफल | 3 बोधा 8 विघा 15 विस्वा |

वधु सहकारी गृह निर्माण समिति लिमिटेड

- | | |
|---------------------------|----------------------------|
| 1- रजि स्टेशन संख्या | 2089 |
| 2- रजि स्टेशन तिथि | 1972 |
| 3- सदस्य संख्या | 22 |
| 4- भूमि क्रय करने को तिथि | 2 जून 1972 |
| 5- भूमि का क्षेत्रफल | 5 बोधा 15 विस्वा 17 विस्वा |

शहीद सद्गु रीझा जज्जद सहकारी गृह निर्माण समिति

- | | |
|---------------------------|--|
| 1- रजि स्टेशन- संख्या | 3027 |
| 2- रजि स्टेशन तिथि | 20-2-73 |
| 3- सदस्य संख्या | रिजार्ड उपलब्ध नहीं है |
| 4- भूमि क्रय करने को तिथि | समिति के पक्ष में भूमि रजिस्टर्ड नहीं है |
| 5- भूमि का क्षेत्रफल | 5 बोधा 4 विस्वा |

पुरनिया सहकारी गृह निर्माण समिति

- | | |
|---------------------------|--|
| 1- रजि स्टेशन नम्बर | 2072 |
| 2- रजि स्टेशन तिथि | 10-11-71 |
| 3- सदस्यों को संख्या | 15 |
| 4- भूमि क्रय करने को तिथि | भूमि सोसाईटी के पक्ष में रजिस्टर्ड नहीं है ! |

-:- 7 :-

5- भूमि का क्षेत्रफल

12 बोधा 13 विस्वा 13 विस्वाफन्सो

रजिस्टर्ड डीह द्वारा कोई भी भूमि सोसाईटी के प्लान में नहीं है समिति ने अपना मुआवजा ले लिया है ।

आजाद सहकारी गृह निर्माण समिति

- | | |
|----------------------------|---|
| 1- रजिस्ट्रेशन नं० | 2082 |
| 2- रजिस्ट्रेशन तिथि | 2-2-1972 |
| 3- सदस्य संख्या | 13 |
| 4- वभूमि क्रय करने की तिथि | भूमि सोसाईटी के प्लान में रजिस्टर्ड नहीं है |
| 5- भूमि का क्षेत्रफल | 4 बोधा 9 विस्वा 18 विस्वाफन्सो 13 कचवाफन्सो |

नन्द विलयम गृह निर्माण सहकारी समिति लिमिटेड

- | | |
|---------------------------|---|
| 1- रजिस्ट्रेशन संख्या | } रिकार्ड्स उपलब्ध नहीं है |
| 2- रजिस्ट्रेशन तिथि | |
| 3- सदस्य संख्या | |
| 4- भूमि क्रय करने की तिथि | भूमि सोसाईटी के प्लान में रजिस्टर्ड नहीं है |
| 5- भूमि का क्षेत्रफल | 3 बोधा 11 विस्वा |

विभागाध्यक्ष की संस्तुति

उपरोक्त विवरण से यह विदित है कि कोई भी सहकारी गृह निर्माण समिति को भूमि योजना विज्ञप्ति से पूर्व नहें क्रयको था । वर्तमान समय में सेक्टर ए, बी, सी, में निम्नलिखित भूखण्ड रिक्त है :-

सेक्टर 'ए' में रिक्त भूखण्ड का विवरण

ए प्रकार के भूखण्ड संख्या 4 = 1 नं०

सेक्टर 'बी' में रिक्त भूखण्डों का विवरण

बी प्रकार के भूखण्ड सं० 6, 10, 43, 45, 46 = 5 नं०
 बी-1 ,, ,, ,, सं० 31 = 1 नं०
 सी ,, ,, ,, सं० 89 = 1 नं०

वार०के०/6

- :-8:- :-

सेक्टर 'से' में रिक्त भूखंडों का विवरण
एक एक एक एक एक एक एक एक एक एक एक एक एक एक एक एक

ए-1 प्रकार के भूखंड सं० 6 = 1 नं०
 डी- प्रकार के भूखंड सं० 17 = 1 नं०

सेक्टर 'बी' में रिक्त भूखंडों का विवरण
एक एक एक एक एक एक एक एक एक एक एक एक एक एक एक एक

बी-1 प्रकार के भूखंड सं० 4, 39, 142, 153, 174 = 5 नं०

सेक्टर 'सी' में रिक्त भूखंडों का विवरण
एक एक एक एक एक एक एक एक एक एक एक एक एक एक एक एक

के- प्रकार के भूखंड सं० 14, 50, 68, = 3 नं०
 सी- प्रकार के भूखंड सं० 41, 57, 83, 103, 107 = 4 नं०

सेक्टर 'आई' में रिक्त भूखंडों का विवरण
एक एक एक एक एक एक एक एक एक एक एक एक एक एक एक एक

डी प्रकार के भूखंड सं० 11 = 1

सेक्टर 'जे' में रिक्त भूखंडों का विवरण

ए प्रकार के भूखंड सं० 17 = 1 नं०
 बी प्रकार के भूखंड सं० 16, 18, 78 = 3 नं०

उपरोक्त भूखंडों के आतिरिक्त सेक्टर के 0 में भूखंड उपलब्ध है प्रम संख्या 1 से 4 तक उल्लिखित गृह निर्माण समितियों को अलाग योजना में भूमि देने के सम्बन्ध अगर प्राधिकरण चाहें तो कुल उनको भूमि का 25 % उन्हें योजना को दरी पर जो कि 50-30 पैसों की दर पर 5-50 पैसों प्रति वर्ग फुट वर्ग के भूखंडों को दरी पर दिये जाने पर विचार कर सकते हैं। नृपि सेक्टर ए, बी, सी के भूखंड शहर के निकट है अतः यह अनुशासन को जाते हैं कि इन भूखंडों का निस्तारण उपरोक्त अग्रामों चार समितियों के सदस्यों के लाटरो द्वारा आरीटिड किये जायें तथा रोम भूखंड समिति के सदस्यों को सेक्टर के में आरीटिड किये जायें उक्त समितियाँ अपने स्वामित्व के आधार पर भूमि का प्रतिफल रुपये 06999 पैसों प्रति वर्ग फुट को दरी से प्राप्त कर सकते हैं। उक्त भूखंड लोज पर दिये जायेंगे तथा अलाग योजना के सभी नियम लागू होंगे।

ह०
 अधिसारी अभियन्ता (आवास)

सचिव/ उपायुक्त

नृपि विकास प्राधिकरण को बैठक में प्रस्तुत करने में अनुमति प्रदान करने को कृपा करें।

ह०
 मुख्य अभियन्ता

विकास प्राधिकरण के सक्ष प्रस्तुत किया जाये।

कार०/बी०

ह०

उपायुक्त

लखनऊ नगर महापालिका प्रस्ताव सं० 68 दिनांक 20-1-70

प्रस्ताव संख्या 68,

सर्व सम्मति से निश्चित हुआ कि लखनऊ नगर महापालिका को बैठक को कार्यवाहियाँ दिनांक 14-8-69, 23-8-69, 28-8-69, 2-9-69, 22-9-69, 23-9-69, 4-10-69, 8-10-69, 9-10-69 को निम्नलिखित संशोधनी के साथ स्वीकृति किया जाये।

- (1) महापालिका को कार्यवाही दिनांक 9-9-69 को प्रस्ताव सं० 40 के निश्चय और को अति मर्जी से शब्द 'तथा राज्य सरकार से सतदधी स्पष्ट टोकरण प्राप्त किया जाये' हटा दिया जाये।
- 2- महापालिका को बैठक दिनांक 9-9-69 को कार्यवाही के प्रस्ताव सं० 41 को यथा संशोधित निम्न प्रकार पढ़ा जाये :-

उपरोक्त प्रस्ताव पारित धीमात करते हुये बहुमत से निश्चय हुआ कि विकास समिति के निम्नलिखित अनुशंसाये यथावत स्वीकार को जाये।

आईटम नम्बर 8

अलोगीज सड़क तथा नगर विस्तार योजना के अन्तर्गत ग्राम तातरपुर में भूमि 55/1 और 55/2 को योजना से मुक्त करने सम्बन्धित नगर अभियंता विकास को आख्या दिनांक 13-2-69 को तथा मुख्य नगर अधिकारी के आदेश दिनांक 7-4-69 पर विचार किया गया।

आईटम नम्बर 11

अलोगीज सड़क तथा नगर विस्तार योजना के अन्तर्गत अलकापुरो सहकारो गृह निर्माण समिति को भूमि छोड़ने विषयक राज्य सरकार के पत्र दिनांक 3-1-69 पर नगर अभियंता (विकास को आख्या तथा मुख्य नगर अधिकारी के आदेश दिनांक 2-5-69 पर विचार किया गया।

आईटम नम्बर 13

अलोगीज सड़क तथा नगर विस्तार योजना के अन्तर्गत हा०जे०एस० टण्डन को भूमि को योजना से मुक्त करने विषयक नगर अभियंता विकास को आख्या तथा मुख्य नगर अधिकारी के आदेश दिनांक 23-4-69 पर विचार किया गया।

श्री भगवत दयाल वैजल ने कहा कि हमको उन लोगों को जमाने छोड़ देना चाहिये जो अपनी का 75 प्रतिशत और महापालिका का विना किसी मुआवजा दिये देने को तैयार है, जिसका समर्थन डा० शिव प्रसाध भटनागर ने किया।

श्री अक्षयदर मल ने कहा कि यहाँ पर दो प्लॉट्स का नामला है य हशारपथों जो पूर्वी बंगाल से आये हुये है अपने रहने के लिये जमाने छरोदो है इनको जमाने छोड़ दो जाये श्री तेजू नारायण त्रिपाठी ने कहा कि फर्यात न हो यह अख्तियार किये जाये सबके साथ इस ही प्रकार का व्यवहार किया जाये।

श्री शहीद हुसैन रिजवी ने कहा कि गत बैठक में इस विषय पर काफी विचार किया

हुआ था। नगर अभियंता विकास से विषय पर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिये निर्देश भी दिए गये हैं। हम लोगों को इन्फार्मिसो बना लेने चाहिये जिसके आधार पर परिसरों की जमीन बँटने या लेने का फैसला किया जाये।

उप नगर प्रमुख महोदय ने बताया कि प्रत्येक आर्टम अपना अलग-अलग महत्व रखता है। उसके महत्व के अनुसार ही अलग-अलग विचार करना हो उचित होगा जिससे अलॉर्जि सदुक्त तथा नगर विस्तार योजना के अन्तर्गत ग्राम तातारपुर में भूमि नं० 55/1 और भूमि नं० 55/2 के बँटने की बात है सम्भवतः यह प्लॉट आवादों से मिले हुये हैं। नगर अभियंता (विकास) ने बताया कि उक्त दोनों प्लॉट आवादों से मिले हुये हैं।

श्री जगत नारायण सिंह ने माँग की कि आज तक जितनी भूमि किसी योजना में बँटनी गई है उन सबके मामले पुनः विकास समिति के समक्ष प्रस्तुत किये जायें और कहा कि मैंने कितनी ही बार यह जानकारी चाही कि किन किन लोगों को जमीन बँट दी गई है परन्तु वह मुझे नहीं बताये।

प्रश्न सं० 27 (ग)
रिजिस्टर्ड सहायक सचिव के

सर्व सम्पत्ति से निश्चय हुआ कि आर्टम सं० 8, 11, की गुलाबपुर संव वार्ड त अलॉर्जि की भूमि निम्नलिखित शर्तों पर बँट दी जाये। यह अनुराजा महापालिका से की जाती है।

जो सम्पत्तियाँ योजनाओं से विशिष्ट होने से पूर्व क्रय की गई हैं या उनकी स्वामित्व में रहो है अथवा रिजिस्टर्ड सहायक सचिव की है तथा जिनका कुल क्षेत्रफल कम से कम एक बीघा हो योजना से निम्नलिखित शर्तों पर बँटा जा सकता है :-

(1) स्वामी अपने कुल भूमि का स्वामित्व महापालिका की बिना कोई प्रतिफल लिये हस्तांतरण कर देगा। इस आशय का एक समझौता मुख्य नगर अधिकारी से करेगा। बटोल पंजी आदि चार्ज भी स्वामी ही वहन करेगा।

(2) भू स्वामिनी योजना के स्वीकृति ले आउट प्लान के अनुसार जो भी सदुक्त पार्सल तथा गली आदि के अन्तर्गत जायेगा योजना के कुल क्षेत्रफल के अनुपात में महापालिका को मुफ्त विधा प्रतिकर सौंपा जायेगा।

(3) भू स्वामिनी की विकसित भूखंडों के क्षेत्रफल पर वास्तविक अनुपातिक महापालिका द्वारा स्वीकृत विकास मूल्य देना होगा।

(4) यह भूमि पुस्तक स्थानों पर यथा सम्भवन उसके समीप केवल गृह निर्माण हेतु दी जायेगी।

- :: - 3 :: -

इ सके अतिरिक्त आन्तरिक विकास भू स्थानों को स्वोक्ति योजना के तहत आउट के अनुसार हो करना पड़ेगा । इस विषय में समुचित स्वोक्ति विकास विभाग देगा ।

भू स्वामी जिनकी भूमि कम से कम एक बीघा है भू स्वामियों की कुल भूमि का 25 प्रतिशत विकसित भाग उचित किराये पर पट्टे पर हो ही जमी शर्त यह हो कि भू स्वामी अपना कुल भूमि को महापालिका को बिना प्रतिफल दिये सौंप देगे । साथ ही साथ योजना कक्षात होने के बाद केय को गई भूमि न छोड़ी जाय। यह भूमि पुराने स्थानों पर अथवा यथा सम्भव उसकी समीप केवल भवन निर्माण हेतु दो जमिगी ।

यह भी निश्चय हुआ कि उपरोक्त शर्तों केवल व्यक्तिगत विकास के लिये भूमि चाहते वाले व्यक्तियों तथा सहकारी समितियों के लिये लागू होंगे परन्तु कॉलोनाइजर इस लाभ से वंचित रहेंगे ।

समिति ने यह भी निश्चय किया कि आइटम नम्बर 13 में उल्लिखित भूमि स्वामी नरेंद्र नगर सीसाईटों सम्बन्धतः सङ्गस्य है इसलिये भूमि व्यक्तिगत उनके नाम से नहीं छोड़ी जायेगी । सीसाईटों के नाम से ही भूमि छोड़ी जायेगी ।

0 - - - - 0

आर०के०/५

लखनऊ नगर महापालिका
लखनऊ नगर महापालिका शक्तियों के प्रयोग में पारित

संख्या सं० 89 दिनांक 8-2-74

लखनऊ नगर महापालिका शक्तियों के प्रयोग में पारित

निश्चय किया जाता है कि :-

1-(क) जिन भूमि धारों अथवा सहकारी गृह निर्माण समितियों ने अपनी भूमि या अपने से सम्बद्ध भूमि का कब्जा किया अथवा भूमि अध्यापित अधिकारी को बिना प्रतिकर का धन लिये या मांग प्रस्ताव सं० 68 दिनांक 20.1.70 के प्रथम अध्यापित भावनानुसार या उनके बदला किये गये अनुबन्धानुसार स्वतः सौंप दिया हो या कर देगे और उसका हस्तान्तरण वि० 40 अध्यापित अधिकारी वदारा नगर महापालिका को कर दिया गया हो या कर दिया जावेगा और अगर वह 2-3 वैसे प्रति वर्ग फुट को दर से सौंपो गई भूमि का 50% पर अन्तरिक एवं वाह्य विकास मूल्य दे अथवा उसका इकरारनामा कर ले, तो उनको भूमि पर अथवा उनको नजदोक योजना की स्वीकृति ले आऊट प्लान के अनुसार सौंपो गई भूमि को 50% अविकसित भूमि जो आवासीय भूखंडों के सम में होगी । (—) अथवा (—) भूमि एवं उक्त कार्यवन्ति योजना के समस्त आवासीय भूखंडों के लिये उपलब्ध भूमि के अनुपात के बराबर) ऐसे प्रतिकर प्लान के लिये प्रथम- प्रथम पट्टों पर बिना किसी प्रीमियम के लिये किन्तु उपरोक्त वाह्य एवं अन्तरिक विकास मूल्य रु० 2-35 पैसे प्रति वर्ग फुट को दर से लेकर एवं 200/- रु० प्रति बोधा वार्षिक किराये पर जो पट्टेदार वदारा सक्षम अधिकारी की स्वीकृति के उपरान्त आवासीय भवन निर्माण पूर्ण कर लेने पर 50% कम हो सकेगा । रु० 30 वर्षों की अवधि के लिये जो उतनी हो अवधि के पश्चात दो बार सिवाय पट्टा नवोनोकरण करते समय प्रत्येक दोनो नवोनोकरणों पर 50% किराया बढाने के, अन्य उन्ही दृष्टि से एवं कन्डोरान, जो योजना के लिये प्रीमियम वाले पट्टों के निमित्त निर्धारित हैं, पर दो जियेगी । ऐसा करने से यदि कोई भूभाग पर उस 50% अविकसित भूमि का इतना कम शेष रह जाता है कि उसी स्कीम की स्वीकृति ले आऊट के अनुसार कोई पूर्ण भूखंड नहीं बन पाता है तो उक्त प्लान को पूर्णतः हेतु अर्पित अतिरिक्त भूमि के लिये नगर महापालिका रु० 3-30 पैसे प्रति वर्ग फुट को दर से अतिरिक्त प्रीमियम स्वयं प्रति वर्ग फुट चार्ज करके, आवंटित कर देगी ।

1-(ख) उपरोक्त कथित विकास मूल्य स्वामी वदारा उपरोक्त अनुबंध करने के एक वर्ष के अन्दर त्रैमासिक चार लगातार कितों में, जिनमें से प्रथम कित अनुबंध निष्पादन तिथि से पहले पहले वाले तीन माह के अन्दर देय होगी, दिया जा सकता है । देय विकास मूल्य पर एक वर्ष तक कोई व्याज नहीं देना पड़ेगा, तत्पश्चात् यह आवश्यक, भूगतान के लिये एक वर्ष को और ग्रेस अवधि दो जा सकती है, जिसमें अवशिष्ट देय धन पर 12% व्याज तथा विकास मूल्य यदि कुछ बढ़ गया, सजाती वदारा देय होगा । यह भूगतान न तो पट्टे वाले भूखंड के क्षेत्र अथवा उसके सलान या उसके चारों तरफ के क्षेत्र गली, सोर, जल प्रपातों, या विद्युत पोल आदि

विकास कार्य पर निर्भर होगा और न उक्त क्षेत्र के वास्तविक विकास के लिये ही प्रतिबंधित होगा। उपरोक्त वास्तविक विकास कार्य, नगर महापालिका द्वारा योजना के कार्यान्वयन पर यथा समय किया जायेगा। पट्टेदार इस हेतु अथवा योजना के अन्तर्गत होने वाले विकास कार्य हेतु उपरोक्त विकास मूल्या या उपरोक्त बढोत्तरी के अतिरिक्त मूल्य का देनदार न होगा परन्तु जो उपरोक्त निर्धारित मूल्य या अतिरिक्त अवधि () के अंदर देय विकास मूल्य मय सूद के जमा नहो करेगा, सम्बन्धित आर्बटन निरस्त हो जायेगा और इस हेतु जमा का गश्त धनराशि जब्त को जा सकेगा। प्रतिबंध यह है कि पट्टेदार को पट्टे पर दो गई भूमि को उस समय तक न तो रहन करने या बेचने और न किसी पर देने का हक होगा और न उस पर भवन निर्मित कर सकने का हक होगा जब तक वह उपरोक्त वांछित सम्पूर्ण मूल्य महापालिका कोष में जमा न कर दे। ऐसे व्यक्तियों को तथा रजिस्टर्ड सहाकारी समिति को जिम्मेदारों पर केवल समितियों के सदस्यों को जो अपने भूखंड नगर महापालिका को रहन रख देगे, देय विकास मूल्य का भुगतान होने के पूर्व ही मकान बनाने को अनुमति नगर महापालिका दे सकेगा।

- 1-(ग) सम्बन्धित पट्टेदार को इस प्रकार पट्टा किये जाने वाले प्लॉट के स्वोक्ती भू विन्यास के अनुसार प्लॉट चुनने की सुविधा यथा सम्भव दी जायेगी।
- 2-(क) जिस भूमि धारियों अथवा सहाकारियों द्वारा निर्माण समितियों ने अपनी भूमि अथवा अपने से सम्बन्धित भूमि का कब्जा वि०भू० अध्यापित अधिकारों की बिना प्रतिकार का भ्रम लिये महापालिका के प्रस्ताव संख्या 68 दिनांक 20-1-70 के विधेय अंश की भावनानुसार या उसके लिये अनुबंधानुसार स्वतः सौंप दिया ही या कर देगे और उसका हस्तान्तरण वि०भू० अ० अधिकारों द्वारा नगर महापालिका को कर दिया ही अथवा कर दिया जावेगा और अगर यह प्लॉट 1-66 पैसों वर्ग फुट को दूर से आन्तरिक विकास मूल्य दे दे अथवा उसका इकारनामा कर ले तो उनको भूमि अथवा योजना के सन्निकटस्वोक्ती कर्तव्य आर्बटन प्लान के अनुसार उक्त सौंपी गई भूमि का 25% वाह्य मूल्य का विकसित भूमि आवासोय भूखंडों के रूप में उपरोक्त प्रकार की व्यक्तियों या समितियों अथवा समितियों के मनीनों के लिये प्रत्येक योजना प्लॉट के लिये प्रथक-प्रथक पट्टों पर बिना किसी प्रोमिसम अथवा वाह्य विकास हेतु बिना कुछ लिये, आन्तरिक विकास मूल्य उपरोक्त कथित रु० 1-66 पैसों प्रति वर्ग फुट को दूर से लेकर रु० 200/- प्रतिबोध वांछित किराये पर जो पट्टेदारों द्वारा स्वयं अधिकारों को वांछित स्वोक्ती के उपरान्त आवासोय भवन निर्माण पूर्ण कर लेने पर 50% कम हो सकेगा 30 कर्षों को अवधि के लिये जो कि इतनी ही अवधि के पश्चात् दो बार सिवाय पट्टा नवीनीकरण करते समय

:- 3 :-

प्रत्येक दोनो नवोनोकरण का 50% किराया बढ़ाने के अर्थ उन्हें ट्रसै रैव कन्डोशन पर जो योजना में प्रोमिसम वाले पट्टे के निमित्त निर्धारित होगी पर दो जदोगे और ऐसा करने में यदि कोई भाग इस 25% आवासोय भूमि का इतना काम शेष रह जाता है कि उसमें स्वीकृत ले आऊट प्लान के अनुसार कोई पूर्ण भूखंड न हो बन पाता है जो उक्त प्लान को पूर्ति हेतु अपेक्षित अतिरिक्त भूमि के लिये नगर महापालिका रु 3-30 पैसे प्रतिवर्गफुट को दर से प्रोमिसम स वध्म अतिरिक्त चार्ज करके आवंटित कर देगा।

2-(ख) उपरोक्त कथित मूल्य भू स्वामो वदार इकरार नामा कर्न के एक वर्ष के अन्दर त्रैमासिक चार्ज लगा कर नियमित क्रिती में जिसमें से प्रथम क्रिती, इकरारनामा निष्पादन से ~~व्यवस्था~~ तिथि से पहले पढने वाले तीन माह के अन्दर देय होगी, दिया जा सकता है। देय विकास मूल्य पर एक वर्ष फाइ तक की वधाज न हो देना पड़ेगा तदुपरान्त यथा अवश्यक भुगतान के लिये एक वर्ष को और अविधि दो सकेंगे, जिसमें अवशेष देय धन पर 12% वधाज विकास मूल्य यदि कुछ बढ़ गया एलात वदद्वारा देय होगा। यह भुगतान न तो पट्टे वाले भूखंड के क्षेत्र अथवा उससे सलग्न या उसके चारों तरफ क्षेत्र में सड़क गली, सोवर, जल प्रपाली, या विद्युतपौल आदि के विकास कार्य पर निर्भर होगा और न उस क्षेत्र के वास्तविक विकास कार्य के लिये ही प्रलिबधित होगा। उपरोक्त वास्तविक विकास कार्य नगर महापालिका वदारा योजना के कार्याक्रम पर यथा समय किया जायेगा और पट्टेदार इस हेतु अथवा योजना के अन्तर्गत होने वाले विकास कार्य हेतु उपरोक्त विकास मूल्य पर, उपरोक्त बढोत्तारों के अतिरिक्त विकास मूल्य का देनदार न होगा परन्तु जो उपरोक्त निर्धारित समय या अतिरिक्त अवधि के अन्दर देय विकास मूल्य मय सूद के जमा न हो करेगे, सम्बन्धित अववर्तन निरस्त ही जायेगा। और अतः ही जमा के गह धानरशि जवत को जा सकेंगे प्रतिकथ यह भी है कि पट्टेदार पट्टे पर दो गई भूमि को उस समय तक न तो रहन खा सकते हैं न बेच सकते हैं, न उसे किराये पर उठा सकते हैं। और न ही उस पर भवन निर्मित कर सकते हैं जबतक कि उपरोक्त वार्षिक सम्पूर्ण मूल्य महापालिका कोष में जमा न कर दें। ऐसे व्यक्तियों को तथा रजिस्टर्ड सहकारी समितियों को जि मदारों पर केवल समितियों के सदस्यों को जो अपने भूखंड नगर महापालिका को रहन खा देंगे, देय विकास मूल्य का भुगतान होने के पूर्व भी मकान बनाने को अनुमति नगर महापालिका दे सकेंगी।

2-(ग) सम्बन्धित पट्टेदार को इस प्रकार पट्टा मिले जाते वही प्लान के स्वीकृत भूमि विन्यास के अनुसार प्लान चुनने के सुविधा यथा सम्भव दो जयेगी।

2-(घ) यदि सम्बन्धित पक्ष, उपरोक्त वधित विकास मूल्य देने को स्वीकृति में न होया देने के लिये तैयार न हो तो उसे यह अख्तियार होगा कि वह अपनी

- उपरोक्त हस्तान्तरित को गई भूमि का 25% केवल बाह्य रूप से विकसित भूमि के बजाय 17.5% पूर्ण रूप से विकसित भूमि के रूप में पट्टे पर ले ले। इस उपपैरा के अन्तर्गत सम्बन्धित पक्षा को किसी भी प्रकार का कोई विकास मूल्य महापालिका को नही देना पड़ेगा। इसके अतिरिक्त पट्टे आदि को वही शर्त ही होगी जो परस्तर ख में वर्णित है।
- 3- उपरोक्त परस्तर एक व दो में वर्णित सुविधायें केवल उन लोगों को दो जायेंगी जो योजना विज्ञापित होनेके पूर्व उन भूखण्डोंके स्वामी थे या महापालिका जिनसे कोई अनुबन्धन कर चुकी है।
- 4- महापालिका प्रस्ताव संख्या 68 दिनांक 20-1-1970 और इसका संशोधन प्रस्ताव सं0157 दिनांक 10-4-72 इस संकल्प वदारा सुस्पष्ट संशोधित एवं परिमार्जित किया जाता है और यदि उपरोक्त दोनों प्रस्ताव अथवा उनसे सम्बन्धित प्रस्तावों में कोई ऐसा है जो कि इस संकल्प की प्राविधानी के प्रतिकूल या असम्बन्ध हो वह अशरद्व आर निरस्त किया जाता है। एवं निरस्त एवं रद्द समझा जायेगा।
- 5- यह सुकल्प सार्वजनिक सूचनाएँ विज्ञापित कराया जायेगा और उपरोक्त पैरा 3 के उपबन्धों के अधीन कोई भी भूमिधारी अथवा सहकारो गृह निर्माण समिति (जो उन लोगों के जो अपनी भूमि अर्जित कर चुके है अथवा प्रस्ताव संख्याक 8 दिनांक 20-1-70 के आकार पर अनुबन्ध निष्पादित कर चुके है कि सहित) जिनके पक्षा में अलगेज सड़क एवं नगर प्रसार योजना के अन्तर्गत कम से कम 10,400 वर्गफुट या उससे अधिक भूमि हो और उपरोक्त पैरा (एक) अथवा (2) में वर्णित सुविधाओं का लाभ पाने को अभिलाषा रखते ही इस संकल्प के विज्ञापन के प्रथम प्रकाशन के दिनांक के एक मास के अन्दर प्रार्थना पत्र स्पष्टतः उल्लेखित करते हुये कि वह उपरोक्त पैरा एक अथवा दो को सुविधाओं में से किस पैरा को सुविधा को लेना चाहते है और यदि पैरा दो को सुविधा चाहते है तो उसमें 25% अथवा यदि 17.5% भूमि का उल्लेख करते हुये दे सकते है। और तदुपरान्त प्रश्नगत सुविधा उक्त पैरा संख्या एक या दो के अनुसार जैसा कि अभिलिखित प्रार्थना को गई हो उन्हें उपरोक्तनुसार पट्टे पर दो जायेगी।
- 6- चूंकि नगर में आवासीय समस्या बहुत विचित्र है अतः योजना में शीघ्रता लानी है तथा अर्जन कार्यवाहों निदिश्ट अवधि में ही समाप्त करनी है। अतः उपरोक्त पैरा 5 में निश्चित अवधि के उपरान्त किसी प्रार्थना पत्र पर विचार नही किया जायेगा।
- 7- उपरोक्त लिखी गई सुविधायें देने में उपरोक्त इकरानामा या उपरोक्त मदी में जो कुछ भी खर्च होगा वह भू-स्वामी को ही ग्रहण करना पड़ेगा।

विभागीय निर्माण गठन विषयक सूचना

यह देखा गया है कि ठेकेदारों के माध्यम से निर्माण कार्य करवाना दिन पर दिन यह गठित होता जा रहा है। किंतु पिछले वर्षों में यह पाया गया है कि ठेकेदारों के माध्यम से परवासे गये कार्य समय अनुसार वद कार्यक्रम के अन्तर्गत पूर्ण नहीं हो पाते हैं। ठेकेदार अपनी सुविधानुसार कार्य को करने के लिये खैर लगाते तथा माफिया की व्यवस्था करते हैं। अतः यह देखा गया है कि यदि किसी भी भट्टीरियल के कामे कलर करते होने की संभावना रखती है तो ठेकेदार समय की परवाह न करते हुये उस समय तक कार्य रोकते रहते हैं जब तक कि दरों पर उन्हें वांछित भट्टीरियल उपलब्ध नहीं हो जाता है। साथ ही यह भी पाया गया है कि कौटी गौटी की बातों को लेकर ठेकेदार कार्य को रोक देते हैं तथा उसको लिये पुनर्देवासी करते हैं या उस विषय पर प्रार्थित्व में आते हैं जिनमें कि कार्य के समापन में बहुत देरी होती है। यह भी पाया गया है कि ठेकेदारों के द्वारा कलर कार्य लिये गये कार्य औचित्य स्तर के नहीं हो पाते हैं। अतः यह आवश्यक हो गया है कि फिउराल दुइ कार्य कीये विभागीय खैर द्वारा कराया जाये ही सस्ता है कि विभागीय खैर के माध्यम से कार्य करने में कोई विशेषकत न हो मरन्तु इसमें कई फायदे होंगे। इस तौर पर अन्तर अन्तःकृत अन्तर होगा कि समय वद कार्यक्रम के अनुसार लिया जायेगा। ठेकेदार की इसकी देखा देती अपने सखईवट (SAYING) के लिये अपने कार्य के स्तर भी उचा करें तथा माफ नियमितमप में करने की कोशिश करेंगे। साथ ही विभागीय खैर द्वारा कार्य के लिये आवश्यक है कि एक विपार्टीन्ट कन्स्ट्रक्शन यूनिट की स्थापना की जा। साथ ही विभागीय खैर द्वारा करने में यह निश्चित है कि अन्य वरिष्ठ इंजिनर की सौला इस इंजिनर के लिये स्टाम्फ की आवश्यकता होगी। इसका कारण यह है कि निर्माण के लिये आवश्यकता की सखईवटि कार्य के समापन के लिये खैर की व्यवस्था करने का कार्य विभाग से स्वयं किया जायेगा। साथ ही कार्य के लिये खैर की व्यवस्था करने का कार्य विभाग से स्वयं किया जायेगा। इसके लिये जिनके स्टाम्फ की आवश्यकता होगी उसका विवरण परिशिष्ट में देखा जायेगा।

यहां यह उल्लेखनीय है कि सी०डब्ल्यू०डी० तथा हाउसिंग बोर्ड के सी०यू० पहले ही बनाये जा चुके हैं मरन्तु सी०डब्ल्यू०डी० का अनुभव उत्साहजनक नहीं है। उक्त दोनों विभागों में यह भी पाया गया है कि यद्यपि ठेकेदारों के माध्यम से लिये गये कार्य तथा सी०डी०यू० द्वारा लिये गये कार्यो में निर्माण का ही लगभग मान रखता है। मरन्तु इस जो सबसे बड़ा फायदा विभाग को होकर है वह समय की वक्त तथा कार्य का स्तर अन्तःकृत अन्तर होकर है क्योंकि किसी भी कार्य को ठेकेदारों के माध्यम से करवाने के लिये प्रथमतः टेन्डर की तैयारी में लगभग एक माह समय तथा टेन्डर को वांगने में लिये भी लगभग एक माह समय देना अनिवार्य रहता है। इसके उपरान्त निविदा की रवीरुनिगे की आदीर देने में भी लगभग १-२ मं. का समय आजाता है और वहीं कार्य देने

कैसे से पश्चात ठेकेदार खर तथा फटे रिपक की व्यवस्था में सुर समय के तैता है।
एक प्रमाण ४ माह का समय का जता है जिसे वक्त मूल रूप में नि जा सकती
है। इस संदर्भ में हाउसिंग कोर के दो ०सी०यू० के जो फटेन है उसकी एक प्रति दाहिनी
और बायें में जिसे प्रवर्धन किया जाय

०सी०यू० के माध्यम से यदि करने में अधिकांश अधिभूता तथा सहायक
अधिभूता की जिम्मेदारी अधिक बढ़ जाती है अतः आगे के सुझाव रूप से अर्थन के
लिए हमें सुर अधि अधिभूता देने होंगे। बहुत ही धन निर्माणवादी बाजार से नगद मु
मुक्तान पर उरीदनी होंगे। इससे साथ ही सबसे आवश्यक बात जो ध्यान में रखने
की है वह यह है कि फटे रौला के मुक्तान की जो प्रणाली है उसी की संशोधन करने
होंगे। इस संदर्भ में जो नीति अपनाई जा सकती है उसका विवरण निम्न प्रकार है :-

१- ०सी०यू० के अधिभूता छद्म के पद का नामकरण अधिकांश अधिभूता के
स्थान पर पुनर्निर्देशित संशोधित प्रक वर्ग दिया जावे ताकि एम०ओ०टबू० औ
अधिकांश अधिभूता में विप प्रणालि तथा विनिय अधिभूता देने होंगे। इस संदर्भ
में जो अधिभूत वर्गित है उसका विवरण निम्न प्रकार है :-

अ- जो आरंभ रेट फ्लैट पर उपलब्ध हो उसे यथासंभव रेट फ्लैट पर
पर ही उरीदा जाना चाहिये परन्तु यदि रेट फ्लैट के उरीदान में थोड़ा समय आने
की संभावना हो तो एम०ओ०टबू० को यह अधिक होना चाहिये कि वह इसे बाजार
मूल्य से बाजार दाने पर ले ले।

(ब) जो आरंभ रेट फ्लैट पर न हो वह बाजार से सीधे उरीदे जाने पर
अधिक एम०ओ०टबू० को दिया जाना चाहिये। एम०ओ०टबू० को धन निर्माण
वादी बाजार से धन उत्पादन से निविदा के स्थान पर सीधे सफाई करी पर
उरीदान का अधिकार दिया जाना चाहिये। इस मद में एम०ओ०टबू० को २५०००।-
तथा सहायक अधिभूता को ५०००।- के सफाई कर देने के लिए विनिय तथा प्रशासनिक
अधिकार दिये जाने आवश्यक है। २५०००।- के ऊपर तथा ५ लाख तक की सफाई
आरंभ में ही सुर अधिभूता को प्रणालि एवं विनिय अधिकार होना चाहिये।
५ लाख रुपये से ऊपर के धन अधिभूता उपा छद्म प्रक को होना चाहिये।

२- २०००।- तक के फटे रौला के मुक्तान दिये जाने का अधिभूत खर अधिभूता
को दिया जाना चाहिये तथा इसके ऊपर की प्रणालि के फटे रौला के मुक्तान
सहायक अधिभूता को स्वयं करना चाहिये।

३- सहायक अधिभूता को ५०००।- तक का परमानेंट इम्प्रेस्ट रखने का अधिकार
दिया जाना चाहिये।

४- टी०एण्ड पी० का करने के लिये रु० १००००/- तक अधिकता होना चाहिये । इसके अन्तर्गत के अन्तर्गत अधिकतम रु० १००००/- तक अधिकता होना चाहिये ।

५- इसके अतिरिक्त अधिसूची अधिनियम के अन्तर्गत रु० १००००/- तक अधिकता होना चाहिये ।

इसके अतिरिक्त के लिये टी०एण्ड पी० के लिये रु० १००००/- तक अधिकता होना चाहिये, एक ही एक टैरर, तथा टी०एण्ड पी० के लिये रु० १००००/- तक अधिकता होना चाहिये, वॉल्यूमेटर, मीट्रिक सिस्टम इत्यादि अधिसूची अधिनियम के अनुसार अधिकतम रु० १००००/- तक अधिकता होना चाहिये ।

इसके अतिरिक्त के लिये रु० १००००/- तक अधिकता होना चाहिये, तथा एक टैरर, वॉल्यूमेटर, मीट्रिक सिस्टम इत्यादि अधिसूची अधिनियम के अनुसार अधिकतम रु० १००००/- तक अधिकता होना चाहिये, वॉल्यूमेटर, मीट्रिक सिस्टम इत्यादि अधिसूची अधिनियम के अनुसार अधिकतम रु० १००००/- तक अधिकता होना चाहिये ।

रु० १००००/-	रु० ३००/-
सहायक अधिनियम	रु० १२५/-
अन्तर्गत अधिनियम	रु० ७५/-

हालांकि वही टी०एण्ड पी० के लिये रु० १००००/- तक अधिकता होना चाहिये, वॉल्यूमेटर, मीट्रिक सिस्टम इत्यादि अधिसूची अधिनियम के अनुसार अधिकतम रु० १००००/- तक अधिकता होना चाहिये ।

रु० १००००/- तक अधिकता होना चाहिये

उपरोक्त विवरण

इसके अतिरिक्त के लिये रु० १००००/- तक अधिकता होना चाहिये, वॉल्यूमेटर, मीट्रिक सिस्टम इत्यादि अधिसूची अधिनियम के अनुसार अधिकतम रु० १००००/- तक अधिकता होना चाहिये ।

रु० १००००/- तक अधिकता होना चाहिये

परिशिष्ट

विशेष प्राविश्य के कुछ मापदंडों को ही सी.सी.ओ. के माध्यम से लिखे जाने का प्रस्ताव है। निम्नलिखित गिनत निम्नलिखित कार्य को प्रथम क्रम में इस सूचि द्वारा किया जाना प्रस्तावित है उनके लिये की सार्वजनिक सूचि; ताकि सही है। अतः शुरू शुरू में कुछ माप सार्वजनिक सूचि के माध्यम से प्रत्येक क्रमिक रूप से जायेगा। साथ ही अधिक तीव्र गति से प्रस्तावों को भी प्रस्तावित किया जाना प्रस्तावित है जोकि बाद में आवश्यकता अनुसार बदला जा सकता है :

क्र.सं.	पद का नाम	संख्या	अनुमानित वार्षिक प्रतिमाह
१-	सुपरिन्टेन्डेंट ऑफ़ क्लर्क	१	₹ १५००/-
२-	सहायक सुपरिन्टेन्डेंट	५	₹ ६०००/-
३-	जूनियर इंजीनियर	१५	₹ ६०००/-
४-	कम्प्यूटर	१	₹ ६००/-
५-	स्टैमिनाफर	१	₹ ५५०/-
६-	प्रधान लिपिक	१	₹ ५५०/-
७-	हाउसटेन्ट	१	₹ ६००/-
८-	जयर विविजन क्लर्क	२	₹ ८००/-
९-	डीवर विविजन क्लर्क	५	₹ १५००/-
१०-	टाईपिस्ट	२	₹ ६००/-
११-	टाइपिस्ट	१	₹ ८००/-
१२-	टैपर	१	₹ ३५०/-
१३-	स्टैमिनाफर	१	₹ ८००/-
१४-	सहायक लिपिक	८	₹ २५००/-
१५-	सहायक सीनियर	१	₹ २५०/-
१६-	जूनियर लिपिक	१	₹ २५०/-
१७-	जूनियर टैपर	१	₹ ३५०/-
१८-	टाइपिस्ट	२	₹ ७००/-
योग सम्मिलित			₹ २४,७००/-
योग वास्तविक			₹ २,६६,०००/-

सत्यप्रति कवि

Details of furniture required for one Division

<u>Sl.No.</u>	<u>Name of the officer</u>	<u>Tables required</u>	<u>Chairs Required</u>
1.	Executive Engineer	1	1x5=5
2.	Asstt. Engineers	5	5x3=15
3.	Head Clerk	1	1x3=3
4.	Accountant	1	1x1=1
5.	Clerks	7	5x1=5
6.	Junior Engineers	12	20x2=40
		<u>27</u>	<u>69</u>

Abstract

1.	Executive Engineers Table	1
2.	Asstt. Engineer's table	5
3.	Clerk & Jr. Engineer's tables	15
4.	Chairs	69

लखनऊ विकास प्राधिकरण के विचारार्थ आख्या

विभाग: - विकास विभाग,

विषय: - ओल्ड पोस्ट ऑफिस तर्मिनल कांप्लेक्स में राजकीय निर्माण निगम द्वारा निर्मित पिछ जा रहे बहुलपदी भवन की तकनीकी जांच के सम्बन्ध में ।

सारांश: - स्वरत्नाजि में बन रहे बहुलपदी भवन जिसका निर्माण राजकीय निर्माण निगम द्वारा किया जा रहा है की तकनीकी निरीक्षण के आदेश उपाय्यता मंडलीय ने दिए थे । इस भवन की प्रारम्भिक तकनीकी जांच सर्व श्री एस०के० शिन्हा, ए० ए० मीटन कुमार सा०वा० नु, जी०पी० श्रीवास्ता सा०वा०स्तु-विधि एवं एस०के० मर्याद अवर अभियन्ता द्वारा की गई है हर खण्ड की जांच सम्भव नहीं थी क्योंकि स्थल पर मचान तथा अन्य यान्त्रिक कार्य विधियां कठिनाई उत्पन्न कर रही है फिर भी पितनी जांच सम्भव थी उसकी रिपोर्ट निम्न है :-

प्रथम तल

(१) कालम नं० ११ की की कटारें हैनी द्वारा की जा रही थी क्योंकि यह कालम डिजाइन के प्रतिकूल आरो डोर की और बढ़ गया था और यह कटारें लगभग २५ मि०मि० से ५० मि०मि० थी ।

(२) कालम नं० ११-शैली कि दाइलगाफ स ६३ की दीवार की और स्थिति है इसी प्रथम खण्ड से उपरी अंतिम खण्ड की सीधाई में ६० मि० मि० लगभग का अन्तर है । यह भवन से बाहर की और फुक गया है इसकी फास्टर से निकाने का प्रयत्न किया जा रहा है ।

(३) कालम नं० ११ की फ्लम्ब से लगभग १५० मि०मि० बाहर है अर्थात् भवन में अन्दर की और फुका हुआ है ।

(४) कालम नं० ६ की र्व में है । इस प्रकार से इस भवन में प्रथम खण्ड को देखते हुए यह प्रतीत होता है कि अन्य सभी कालम एग ही एलाइन्मेंट में नहीं है ।

(५) बीम का फ्रैक्शन जैसा कि ड्राइंग में दर्शाया गया है उसके अनुकूल नहीं है । बाहरी दीवार जो कि बीम के मध्य में स्थित है वह बीम टैडी होने के कारण कहीं अन्दर की और चली गयी है और कहीं बाहर की और चली गयी है । यह प्रथम खण्ड के प्रत्येक कमरों में अन्दर की और से पूर्णतया देखा जा सकता है इसका असर भवन पृष्ठ पर भी पड़ा है जो कि कारणवस जैसा कि ऊपर लिखा गया है, देखा नहीं जा सकता ।

(६) कारोडोर की बाल्कनी के ऊपर जो सैट दिया गया है यह दाइलगाफ की और स्वरत्नाजि की भी और, अपेक्षा पर न ही पर फुल दीवार से स्तरफ १०० मि०मि० अन्दर ही गयी है और दूसरी ओर १०० मि०मि० बाहर निकल गयी है अर्थात् यह ठीक आपसिना के रूप में नहीं बनाई गयी है बाल्कनी की चौड़ाई और लम्बाई अंशः २६५० मि०मि० थी ।

तथा 1500 मि०मी० पाथो के अर्थात् 2660 मि० भी तथा 1449 मि०मी० होने चाहिये अर्थात् हीलिंग जॉन का स्टाइन्डेंट सही नहीं है ।

(7) 'कारोडोर' में दिखने वाले 'जॉन' एक ही स्तर पर नहीं है । यह जॉन वहाँ पर नीचे और वहाँ ऊपर पर दिखाई देता है । चूँकि = सभी जॉन पर प्लास्टर किया जा चुका है । इस कारण से यह यचना गलत है कि यह जॉन 'जॉन' के अन्तर्गत से हुआ 'प्लास्टर' में है ।

(8) कारोडोर में अप्पिस्की रूम जो कि कालम नं० 101 को और पड़ता है उसमें 'जॉन' एक वर्क जो सफल में बना गया है । जॉन में यह लगभग 25 मि०मी० दिखाई देता है किन्तु यदि यल कर यह ऊँचा बढ़कर 100 मि०मी० तक पहुँच गया है ।

(9) कारोडोर के चौड़ाई जॉनो नये है यह 2400 मि०मी० पाथो गया है ।

(10) वास्तुशास्त्र के अंतर्गत से जॉन होते हुये जो ऊपर 100मी०मी० को और है उनको जॉन करने के पश्चात् यह ज्ञात हुआ है कि ऊपर नं० 1 (अप्पिस्की रूम) में कालम से छिड़ने तक दोवार को लम्बाई 493-5 मि०मी० होने चाहिये जबकि यह 450 मि०मी० है ।

इस कमरे में 'लाफ्ट स्लैब' जो कि टेढ़ी बनी हुई है इसको उखाड़ी छाटिंग से तो गया जो कि एक और 1850 मि०मी० और दूसरी और = दरवाजा के निकट 1930 मि०मी० है । अतः यह 80 मि०मी० ऊँचा या नीचा है ।

कमरा नं० 2

इस कमरे में भी 'लाफ्ट स्लैब' टेढ़ी पड़ी है जो कि ऊपर कारोडोर के और 50 मि०मी० से झुके हुई है । इस कमरे का नाम 2-92x452 मि० पाथो गया है ।

कमरा नं० 3

तारा बंद था इस लिये अंदर से नहीं देखा जा सका । इस कमरे में छिड़ने के नीचे जॉन का प्रोपेक्षन सही नहीं है कि एक और 155 मि०मी० है और दूसरी और 165 मि०मी० है । (सही लम्बाई 200 मि०मी०)

कमरा नं० 4

इस कमरे के अंदर ऊपर के और 'प्रोपेक्ष टेबल जॉन' सही नाम से प्रोपेक्ष नहीं हो रही है । एक और का प्रोपेक्षन 3-1 (75 मि०मी०) है तो दूसरी और 4-1 (100 मि०मी०) का प्रोपेक्षन है ।

छिड़ने के नीचे का नाम का प्रोपेक्षन एक और 140 और दूसरी और 150 है जबकि छिड़ने के अनुसार यह नाम 200 मि०मी० होना चाहिये । इस कमरे के साथ का कालम जो कि 9-2 है उसकी चौड़ाई 590 है जबकि यह 500 मि०मी०

(3)

ही होनी चाहिए अतः इस पर प्लास्टर अधिक लगा हुआ है या साइज से बड़ा बना गया है। प्लास्टर अधिक लगाने का मुख्य कारण कातम की बाहरी सतह बरसने के कारण है। इस कमरे और साथ के कमरे नं० 3 के ऊपर जो सड़क बना हुआ है वह एक ओर (नं० 4 की ओर) 25 मि०मी० प्रोजेक्शन है जबकि कमरा नं० 3 की ओर 100 मि०मी० प्रोजेक्शन है। अतः 'सड़क' एक सीधा साइज में नहीं है।

कमरा नं० 5

इस कमरे में छिड़की के नीचे की 'बीम' एक ओर 170 मि०मी० है और एक ओर ओर 185 मि०मी० है। जबकि 200 मि०मी० लेनी चाहिए। अतः प्रोजेक्शन सही नहीं है। इसी कमरे का सड़क कातम से 50 मि०मी० अंदर है और कवर्ड से 150 बाहर है अतः यह एक साइज में नहीं है।

इस कमरे की 'लाफ्ट स्लेट' कवर्ड है तथा उंची लीची नहीं है।

कमरा नं० 3

इस कमरे में छिड़की के नीचे 'बीम' का प्रोजेक्शन एक ओर 165 मि०मी० है दूसरी ओर 180 मि०मी० है। अतः यह ± 25 मि०मी० से टेढ़ी है।

इस कमरे के पास का कातम 8-ए की बहराई 600 है जबकि हर कातम की बहराई 650 मि०मी० है।

इस कमरे की भी 'लाफ्ट स्लेट' टेढ़ी है।

कमरा नं० 7

इस कमरे में कातम से छिड़की तक कीवार का तम्याई जो कि 493.5 होनी चाहिए वह 555 मि०मी० है।

कमरा नं० 8

छिड़की के रबीचे 'बीम' का प्रोजेक्शन 180 मि०मी० पाया गया 'सड़क' कातम से गिरा हुआ है जबकि यह कातम के बाहर प्रोजेक्ट होना चाहिए। कातम की चौड़ाई भी 600 मि०मी० है जबकि यह 500 होनी चाहिए

कमरे का साइज (2800x4450) मि०मी० है। कमरा साइज से छोटा है सही साइज से (2935x4612) मि०मी० है।

सैनिटरी ब्लाक

~~~~~

इसकी छिड़कियों पर प्रोजेक्ट होना वाला छज्जा एक तरफ 2' और एक तरफ 4' है जो कि 50 मि०मी० टेढ़ा प्रोजेक्ट्स है। कार्य प्रगति में होने के कारण शैर जॉब कार्य नहीं हो सका।

आपिस नं० 1

इस कमरे का साइज (5900x7780) मि०मी० पाया गया। कीवार से छिड़की तक छोड़ी जाने वाली जगह एक ओर 340 और दूसरी ओर 350 मि०मी० पाई गयी है जबकि यह 493.5 मि०मी० लेनी चाहिए थी।

(4)

दो खिड़कियों का सम्मिलित 'कमरेड' 'कामफेस' से 5' बाहर थी और प्रोजेक्ट हो रहा है जो कि ड्राइंग के जुड़ता नहीं है ।

कमरे के अंदर बने हुये कवर्ड की चौड़ाई 1.00 मी० है तथा खिड़कियों 1.03 हैं ।

आपिस नं० 2

इस कमरे की दीवारे एक दूसरे पर सम्भवत नहीं है एक कोने से दूसरे कोने की माप 9.00 मी० है तथा दूसरे कोने से कोने तक माप 9.08 मी० आ रही है ।

'टाइल सौम' 3 मी० त से कारीडोर की ओर खुली हुई है ।

इस कमरे का माप 5.83x7.78 पाया गया है ।

खिड़की से छूटने वाली एक ओर की दीवार 390 मिमी० और दूसरी ओर 360 मिमी० है जबकि सही माप ड्राइंग से 493.5 मिमी० है ।

आपिस नं० 3

इस कमरे के विकर्ण भी सही है जहाँ एक कोने से दूसरे कोने की माप 8.94 मिमी० और दूसरे ओर 9.03 आ रही है ।

इस कमरे की माप 4.97x7.80 आ रही है । खिड़की से छूटने वाली दीवार एक ओर 515 मिमी० और दूसरी ओर 497 मिमी० है । इस कमरे की ग्री-टाइल सौम टेढ़ी पड़ी है । इसी कमरे में बने हुये कवर्ड की चौड़ाई की 690 मिमी० आ रही है जबकि यह 610 मिमी० ही होनी चाहिए ।

इस कमरे की खिड़कियों पर जो 'कमरेड' कामा गया है वह एक ओर काम से बिना हुआ है और दूसरी ओर (175 मिमी०) प्रोजेक्ट है ।

आपिस नं० 4

इस कमरे के भी विकर्ण सही नहीं हैं । एक ओर 11.29 है और दूसरी ओर 11.13 11.13 मी० है । अतः कमरा टेढ़ा बना हुआ है ।

काम 2 की दर पड़ने वाली दीवार काम के ~~अक्ष~~ केन्द्र से नहीं है । अर्थात् आर०सी०सी०क्रेम टेढ़ा पड़ा है ।

इस कमरे में केवल के बाहरी फ्लोर पर पड़ने वाली दीम अंदर की ओर प्रोजेक्ट कर रही है जबकि यह 'दीम' अलग इस प्रकार के किसी कमरे में नहीं दिखाई पड़ती है । अतः यह एक 'एलाइमेन्ट' की त्रुटि है ।

इस कमरे में दीवारों पर का प्लास्टर 25 मिमी० मोटा है जबकि यह 'रफ फ्लोर' पर 40 मिमी० मोटा है ।

टाइलेट नं० 2

'टाइलेट' जो कि इस शैवालय में लगाने गये है वह कमर काम में दरवाजे पर और एक कोने में नहीं पाये गये। क्योंकि 'टाइलेट' में अभी कार्य प्रगति पर है इस कारण से अकार्यजार्जेंस कार्य पूरा नहीं किया जा सका ।

आफीस नं० 17

'टाइल सौम' सीधी नहीं पड़ा है तथा कमरे के बाहरी कोने के ओर 'दीम'

(5)

और दीवार पर एक और 'रिफ' निकाला गया है ।

'समशेड' कबर्ड से 100 मिमी० बाहर की ओर प्रोजेक्ट है ।

आपिसर्स रम नं० 16

समशेड बाहर निकला हुआ है । इस कमरे में भी 'बीम' और 'कालम' से घिरा हुआ अंदर की ओर एक अतिरिक्त कोना निकला हुआ है जो कि कालम द्वारा अतिरिक्त टुटि की ओर इंगित करता है ।

रम नं० 15

मकान पृष्ठ पर पड़ने वाली 'बीम' कमरे के अंदर नहीं दिखाई पड़ रही है जबकि यह मकान नं० 16 और 17 में दिखाई देती है । अर्थात् यह 'बीम' डाकते समय 'एनाइजमेन्ट' सही नहीं रखा गया है । इस कमरे के साथ वाला 'कालम' 'समशेड' से बाहर की ओर 'प्रोजेक्ट' कर रहा है जबकि 'समशेड' को बाहर 'प्रोजेक्ट' करवा है ताकि कालम को लाफ्ट स्लेज भी सीधी नहीं पड़ी है ।

रम नं० 14

इस कमरे में मकान पृष्ठ पर पड़ने वाली 'बीम' अंदर नहीं दिखाई दे रही है । 'समशेड' कालम की ही लाइज में पड़ा हुआ है जबकि यह बाहर की ओर प्रोजेक्ट हो जा है ।

'समशेड' की महाराई दीवार की जतह से 310 मिमी० होना चाहिए जबकि यह 640 पाई गयी है । 'लाफ्ट स्लेज' सीधी नहीं है ।

रम नं० 13

इस कमरे में भी अंदर की ओर बीम नहीं दिखाई पड़ी रही है ।

इस कमरे की लाइज 2930x4600 मिमी० है । लाफ्ट स्लेज सीधी नहीं पड़ी है ।

अपिसर्स रम नं० 1

खिड़की की ओर फूटने वाली दीवार एक ओर 450 मिमी० है तथा दूसरी ओर 460 है जबकि यह 493.5 होनी चाहिये ।

इस कमरे का 'कालम' 'समशेड' से 25 मिमी० बाहर की ओर 'प्रोजेक्ट' कर रहा है जबकि 'समशेड' कालम से बाहर होना चाहिए ।

अपिसर्स रम नं० 2 - खिड़की ओर फूटने वाली दीवार 510 मिमी० और दूसरी ओर 530 मिमी० है अतः यह डाइजिंग के अलुमिन नहीं है ।

इस कमरे के 'डायगनल' सही नहीं है एक ओर 9030 मिमी० और दूसरी ओर 8950 आ रहा है । अतः रम टेढ़ा बना हुआ है ।

(6)

लाफ्ट रेलन 'सोधी नहीं पड़ी है' ।  
 ऑपिस हॉल नं० 3

छाड़ने से दूने वाले दोवार एक ओर 430 मिमी० है और दूसरी ओर 510 मिमी० है । इसके विकल्प नहीं है ।

लाफ्ट रेलन भी टेढ़ा है ।

अन्तः तल (सेसमेंट)

1- गौदाम नं० 5 तथा 6 (सिलन प्लान) को 'विकवेलास्ट मिक्स' में वेलास्ट ओवर साइज का पाया गया (1: 4: 8)  
 2- 'लास्टर को मोटाई' 25 मिमी० से 20 मिमी० तक थी जबकि समतल फ्लोर पर 12 मिमी० होना चाहिए ।

3- कारो डोर नं० 2 में गौदाम नं० 5 के सामने फ्लोर को छुदवाने पर कांक्रीट मिक्स 120 मिमी० (छाड़ने से 80 मिमी०) तथा ड्राई स्टेन वेलास्ट 80 मिमी० पाया गया ।

4- गौदाम नं० में सेमेंट कांक्रीट (1: 2: 4) को मोटाई 130 मिमी० से 110 मिमी० पाई गयी (अवशिष्ट ...)

5- ब्रास कारो डोर में भी सेमेंट कांक्रीट (1: 2: 4) को मोटाई 120 मिमी० पायी गयी । उसके कुछ भाग में 1: 4: 8 को भी कांक्रीट पड़ी हुई थी ।

6- स्टेअर में ट्रेड तथा साइजर को साइज एक नहीं, 1" से 2" तक का अंतर है तथा स्टेअर भी दिवाल से गुनिया में नहीं है ।

3- भूतल

1- फ्लोर को मोटाई (1: 2: 4 को कांक्रीट) अधिक थी । 60 मिमी० से 90 मिमी० जबकि 50 मिमी० होना चाहिए ।

2- स्टेअर को साइज नहीं है ।

4 - केअरटेकर भवन

किचन के सामने वाले भाग को दोवार कर्च है जिसको 25 मिमी० से 40 मिमी० तक प्लास्टर लगाकर सोधा किया गया है ।

2- छंजा में हनोकाम्ब था ।

5- पूर ठ भाग आरेख

कांक्रीटिंग के समय बहुत अधिक मात्रा में <sup>एलरी</sup> वाहर निकल रही थी क्योंकि शर्टरिंग प्लेट ठोक नहीं थी तथा उसके गैप को बन्द नहीं किया गया था ।

6- अग भाग आरेख

ह नोकाम्ब था जिसके स्लैब में लोहे को सरिया भीकरी -करी दिवाई दे रहा था

(७)

७- रीमैन्ट

आर०गी०पी० की वीमस में बहुत अधिक हनी भन्ना दिखाई दे रहा था जो प्लास्टर लगाने से ठीक किया जा रहा था। जो कि वीमस की स्ट्रेन्थ के कम होने की सीमावना है।

मुख्यतः १- हर फ्लोर में आउटर वीम तथा कालम क्ली भी सीधे प्रतीत नहीं होते हैं।

२- प्लास्टर की मोटाई हर जगह आवश्यकता से अधिक लगी हुई है।

३- भवन प्लान पर रज्जा हॉल की भी लकीरें नहीं हैं। दरवाजे

४- दरवाजे में शटर की लकड़ी तो ठीक लगी हुई है परन्तु फॉम में क्ली क्ली ठीक स्तर की लकड़ी का प्रयोग नहीं किया गया है।

५- स्टार केम के सामने जो स्वीच कल दी गई है उसका बाहरी किनारा जिम्मे सिद्धी लगाई गई है वह सीधा नहीं है।

६- आर०गी०पी० वीम रज्जि तथा कालम पर प्लास्टर २० मि०मी० से २५ मि०मी० तक लागाना गाना है।

७- दरवाजे तथा बाहरी शटर की और वनी वाकफनी प्लान में नहीं है।

८- प्रभाति कार्ग में शटरिंग टूटा हुआ तथा गैप ठीक न भरे होने के कारण सीमैन्ट क्लरि बाहर बह रही थी जिस कारण से सीमैन्ट की मजबूती कम हो जाती है तथा हानी भान के रिजाने के लिये उस पर सीमैन्ट प्लास्टर कात है जिससे निम्नोण कार्ग का व्यय बढ़ता है।

९- दरवाजे की और वाले जोने में सबसे उपरी तल पर वीम कालम के सैन्टर में न होकर लगभग ७५ मि०मी० से ९० मि०मी० तक बाहर है।

१०- ज्यादातर वीमस तथा कालम में हनी भानव है जिसको प्लास्टर से ठीक किया जा रहा था।


उपर्युक्त श्रुतियों के अतिरिक्त यह भी उल्लेखनीय है कि आर०गी०पी० सतह को चीकना प्राप्त करने के उद्देश्य से प्राविशरण में लगाने वाले सीमैन्ट शटरिंग राजकीय निम्नोण को क्रय करके दी थी जिससे कि आर०गी०पी० सतह को चीकना प्राप्त किया जा सके तथा सीमैन्ट की बचत की जा सके परन्तु स्टैडि क शटरिंग लगाने के उपरान्त भी सतह में -----

(८)

जाये हुए हनी काम्ब के लिये समस्त वार० सी० सी० कार्य पर २० मि० मि० से २५ मि० मि० तक फ्लॉटर किया है जो कि न्याय संगत नहीं है।

विभागाध्यक्षा की स्पष्ट संस्तुत :-

उपरोक्त जांच रिपोर्ट से यह स्पष्ट विदित है कि इस कार्य को करने में निर्माण निगम में संतर्कता नहीं बरती है तथा अब इन कमियों को दूर करने में अनायास ही अतिरिक्त धन व्यय करना पड़ेगा। अतः उपरोक्त रिपोर्ट प्राधिकरण के समक्ष इस आशय से प्रस्तुत है कि राष्ट्रीय निर्माण निगम को दैय १५ प्रतिशत सेन्टेम चार्ज का भुगतान तब तक न किया जाय जब तक इस बिलिंग को पूर्ण करके निर्माण निगम प्राधिकरण को सौंप न दे।

  
मुख्य अभियन्ता (विकास)

मुख्य अभियन्ता के आदेश:

विषय प्राधिकरण के समक्ष प्रस्तुत करने के आदेश प्रदान करने का कष्ट करें।

मुख्य अभियन्ता,  
विषय विकास प्राधिकरण के समक्ष प्रस्तुत किया जाय।

सचिव

उपाध्यक्षा

लखनऊ विकास प्राधिकरण के विचारार्थ आज्ञा

विभाग : सचिव कार्यालय ।

विषय : महानगर गृह योजनान्तर्गत करामत मार्केट के सामने की दुकानों में से एक दुकान के आवंटन हेतु प्रीमियम से मुक्ति किये जाने के सम्बन्ध में ।

सारांश : दीपावली चक्रवर्ती हि निवासी ईस्ट बंगाल रिफ्यूजी कालोनी छान्ना मिल डालीगंज, लखनऊ ने प्रार्थना की है कि प्रार्थिनी एक असमर्थ युवा लड़की है जो बचपन से ही अनाथ है जिसका एक फेफड़ा उसके आठ वर्ष की आयु में ही निकाल दिया गया था, जिसके कारण वह अर्ध व असमर्थ हो गई एवं जीवन-यापन के लिये उपरोक्त व्यवसायिक केन्द्र में एक दुकान का आवंटन चाहती है । जिसमें दुकान चलाकर वह अपना जीवन-यापन करेगी ।

उपरोक्त व्यवसायिक केन्द्र में एक दुकान अभी भी खाली है जिसके कारण किराये का नुकसान हो रहा है । अतः उक्त प्रार्थना पर विचार किया जा सकता है ।

ह0/- बाबू राम  
सचिव

उपाध्यक्ष के आदेश :-

विकास प्राधिकरण की बैठक में विचारार्थ प्रस्तुत किया जाय ।

ह0/-उपाध्यक्ष

सखजक विकास प्राधिकरण के विचारार्थ आज्ञा  
 = = = = =

विभाग - लेखा विभाग,

विषय वस्तु -

सखजक विकास प्राधिकरण के गठन से पूर्व नगर महापातिका के तत्कालीन विकास विभाग में उसकी कार्य मात्रा के आधार पर लेखा विभाग का गठन था जिसकी व्यवस्था, लेखा अधिकारी नगर महापातिका द्वारा होती थी । विकास प्राधिकरण के गठन के उपरान्त लेखा विभाग का पुनर्गठन करना अत्यन्त आवश्यक हो गया क्योंकि प्राधिकरण को अपने लेखे जोखे स्वयं रखना है । लेखा विभाग को विधिवत् रूप में स्थापित करना था क्योंकि सहायक रूप में कार्य करता उसके लिए संभव नहीं था । परिस्थितियों के बदल जाने के अतिरिक्त कास्ट एकाउन्टेन्ट की नियुक्ति भी हो गई है परन्तु उसका भी कोई विधिवत् विभाग न होने के कारण उसके कार्य संवातन में बाधा पड़ रही है ।

लेखा विभाग के स्टाफिंग पैटर्न को बदलने के लिए मुख्य लेखा अधिकारी को काठपुर एवं देहली भेजा गया, जहाँ की कार्य संवातन व्यवस्था देखने के उपरान्त उन्होंने स्टाफिंग पैटर्न प्रस्तुत किया । संगठनात्मक तालिका " क " के अनुसार सेट्टल लेखा विभाग, मुख्य लेखा अधिकारी के अधीन तथा बजट, वित्त, कास्टिंग, आडिट, कास्ट एकाउन्ट्स आफिसर के अधीन कार्य करेंगे । प्रत्येक के अधीनस्थ दो दो लेखा अधिकारी रहेंगे । वर्तमान कास्ट एकाउन्टेन्ट ही कास्ट एकाउन्ट्स आफिसर डिजिटिजेट होंगे । इसी प्रकार मुख्य लेखा अधिकारी के अधीन कार्यरत दो सहायक लेखा अधिकारी, नये लेखा अधिकारी पदों पर कार्यरत रहेंगे इससे व्ययभार में कमी उत्पन्न हो जाएगी जो हितकर होगा ।

मुख्य लेखा अधिकारी की आज्ञा उपरोक्त के सम्बन्ध में संतुल्यक । पर तथा संगठनात्मक तालिका संतुल्यक 2 पर देखी जा सकती है ।

लेखा विभाग के उपरोक्त संगठन के प्रश्न पर संतुल्यक 3 देखने का स्पष्ट करें । कास्ट एकाउन्ट्स आफिसर का विभाग पूर्णतया नया विभाग होगा इस विभाग में नियुक्तिगत पद उसके सामने अंकित संख्या एवं वेतनमानों में स्वीकृत होगा है ।

|                      |   |         |              |
|----------------------|---|---------|--------------|
| लेखा अधिकारी         | 2 | वेतनमान | 550 = = 1200 |
| लेखाकार              | 1 |         | 350 — 700    |
| लेखा लिपिक           | 5 |         | 230 - 350    |
| द्वितीय श्रेणी लिपिक | 4 |         | 200 - 320    |
| अवर अभियन्ता         | 2 |         | 300 - 500    |
| पृष्ठि सम्बन्धी      | 1 |         | 350 - 700    |
| सहायक सम्बन्धी       | 2 |         | 300 - 500    |
| स्टेनो               | 1 |         | 300 - 500    |
| अर्बन्दी, चक्कारी,   | 9 |         | 165 - 215    |
| फर्शा इत्यादि        |   |         |              |

इस पदों पर कार्यरत कर्मचारियों को मासिक के अनुसन्ध मत्तों प्राप्त होंगे । इन नियुक्ति के कारणवश वार्षिक व्यय रु 1,45,920/- होगा तथा चार वर्ष में 4 माह के लिये तमन्ध रु 48,640/- का व्यय होगा ।

इसी प्रकार वर्तमान लेखा विभाग के पुर्नगठन करे हेतु भी अतिरिक्त स्टाफ की आवश्यकता पड़ेगी जिस अतिरिक्त स्टाफ की आवश्यकता है तथा जिसकी स्वीकृति वांछनीय है उसकी संख्या एवं वेतन-मान विस्तारित हैं -


| पद                    | संख्या | वेतनमान | 580 - | 1200 |
|-----------------------|--------|---------|-------|------|
| लेखा अधिकारी          | 2      |         | 580 - | 1200 |
| लेखाकार               | 3      |         | 350 - | 700  |
| सहायक लेखाकार         | 2      |         | 300 - | 500  |
| विभागीय लेखाकार       | 2      |         | 280 - | 460  |
| लेखा लिपिक            | 10     |         | 230 - | 385  |
| द्वितीय श्रेणी लिपिक  | 2      |         | 200 - | 320  |
| प्रधान खजान्ची        | 1      |         | 280 - | 460  |
| सहायक खजान्ची         | 1      |         | 230 - | 385  |
| स्टेनोग               | -      |         | 300 - | 500  |
| चपरासी आरक्षी इत्यादि | 10     |         | 165 - | 215  |
| दफ्तारी               | 1      |         | 170 - | 225  |
| मलमैन                 | 1      |         | 170 - | 225  |

यह उल्लेखनीय है कि वर्तमान कार्यरत स्टाफ के अतिरिक्त उपरोक्त स्टाफ है । अतिरिक्त व्ययभार रु 147480/- वार्षिक, एवं चांदू वर्ष में चार माह के लिए रु 49160/- होगा ।

उपरोक्त कास्ट एकाउन्ट्स आफिसर स्टाफ एवं लेखा विभाग का स्टाफ स्वीकृति हो जाने के उपरान्त आशा है कि इस विंग का पुर्नगठन हो जाएगा ।

(1) विकास प्राधिकरण के पूर्व निर्णय दिनांक 25-7-75 के मद संख्या 6,7 के अनुसार उपाध्यक्ष को उपरोक्त पदों पर नियुक्ति करने का अधिकार निहित है ।

उपरोक्त आशा प्राधिकरण को अनुमोदितार्थ प्रस्तुत करने हेतु आदेश प्रदान करने की कृपा करें ।

  
मुख्य लेखा-अधिकारी

उपाध्यक्ष,

कृपया उपर्युक्त आशा प्राधिकरण को प्रस्तुत करने हेतु आदेश प्रदान कर दें ।

  
सचिव

प्राधिकरण के समा प्रस्तुत करें ।

६०

उपाध्यक्ष,

As per instructions I went to Kanpur and Delhi to study the working system of accounts organisation of Kanpur Development Authority. The working system of accounts organisation of Kanpur Development Authority is almost similar to that of Lucknow Development Authority but the working system of accounts Department of Delhi Development Authority is some what different from that of Lucknow Development Authority. Delhi Development Authority's working may be judged from its accounts organisational chart placed at F/A. Since Delhi Development Authority is a large organisation than Lucknow Development Authority (as budget of Delhi Development Authority for 1977-78 is for Rs.95.72 crores and that of Lucknow Development Authority is for Rs.28.16 crores) its organisation is not proposed to be adopted at present. Despite Delhi Development Authority I have also obtained through correspondence accounts organisational chart of NOIDA (New Okhla Industrial Development Authority) & MCRAS Corporation which are placed at F/B & F/C.

2.(i) After going through all the above organisational charts of accounts organisation, I have prepared organisational chart of accounts organisation of Lucknow Development Authority (as per annexure I) which is based on most economy and suits the present requirements of Lucknow Development Authority. The present staff is quite inadequate as may be compared with that of Kanpur Development Authority(F/D).

(ii) As per proposed organisational chart (annexure I) central accounts department will function under Chief accounts Officer (to be appointed by Government as per provisions of U.P. Urban Planning and Development Act, 1973) and Budget, finance & costing and internal audit departments will function under Cost Accounts Officer (Cost Accountant already appointed by Lucknow Development Authority and is presently working). As is evident from annexure I two Accounts officers will work under control of Chief Accounts Officer and two under control of Cost Accounts Officer. There will be three sections under Accounts Officers I & II and the work of accounts Officer III will also be divided into two sections later on (one for Costing & other for finance). There will be one internal audit section under

Accounts Officers IV. The work of each section has been given in brief in Annexure I. Accounts Officer II in respect of budget work (with budget section) will work under direct control of Cost Accounts Officer and will manage its work as per his guidance and instructions.

3.(i) The of G.P.F./Pension, Bank reconciliation (old), costing and finance and internal audit (as shown in annexure I) will be in addition to present one. The work of G.P.F. was being done in Mahapalika which has been recently taken up. The posting of G.P.F. accounts is pending since 1963-64 which has to be brought upto date. In addition to it new procedure will also involve additional work. The pension section will check/finalize the cases of employees who have retired after formation of Lucknow Development Authority i.e., 13th Sep. 1974 and will be retired in future but the cases of pension will continue to be prepared by the department concerned till this work is centralised and attached with the central establishment section of Lucknow Development Authority.

(ii) The position of bank reconciliation is quite far from satisfactory. The bank reconciliation is pending since 1967-68 as per position of each account is noted below :-

1. General Development U.C.B. 4/67

S.B. 4/72

2. Aliganj housing Scheme  
fund account :-

(a) Bank of India from 4/74

(b) U.C.B. from 1/75

(c) I.O.B. from 4/76

3. HUDCO ( U.C.B. from 4/75

That is why creation of separate Bank reconciliation section has been proposed. The bank reconciliation is a must and is required to be completed so that cases of misappropriation/embezzlement, if any, may detected and brought to light.

(iii) Creation of costing and finance section has been proposed with a view to take up the work of preparation of income and expenditure accounts and balance sheet as no such accounts have been prep-

pared since formation of Lucknow Development Authority, i.e., 13th Sep. 1974. The preparation of such accounts is all the more necessary to exhibit the true financial position of assets and liabilities of Lucknow Development Authority. The balance sheet is also demanded by HUDCO and Bank whenever Lucknow Development Authority borrow loans from them as well as on requisition of bank guarantee from banks. So preparation of such accounts is essential. In addition to it the funds are also required to be managed for which cash in flow and cash out flow statements need to be prepared. Funds management will also involve the work regarding investment of surplus funds and creation of sinking funds for repayment of loans. Since Lucknow Development Authority is an autonomous body, cost control and cost reduction is also necessary for which essential records will be required to be maintained. Introduction and preparation of Commercial accounts is also necessary as Lucknow Development Authority is an autonomous body. This work will also be taken up. Other misc. works regarding costing and finance will also be included.

(iv) Internal audit has been suggested with a view that the deficiencies of different departments may be brought to light. It will also suggest preparation of records on modern system by prescribing procedure with consultation of costing section.

4.(i) The strength of each section and general staff has been indicated in annexure II which is based on minimum / present requirements. The staff will be required more in case the work increases.

(ii) 4 posts of Accounts Officers have been suggested (as per annexure I), Accounts Officer Costing and finance should be qualified as I.C.M.A. or chartered Accountant. Accounts Officer internal audit, Senior Auditor and Junior auditors may be taken on deputation from A.G.H.P. or Examiner Local fund accounts. The posts of Accounts Officer I & II may be continued to hold by present two asstt. Accounts Officer's who may be designated as Accounts Officer despite the fact they will continue to draw their pay as Asstt. Accounts Officer.

(iii) The financial impact has been worked out in annexure III. The additional burden of finance will amount to Rs. 2.93 lacs (Rupees two lacs Ninety three thousands only). The total establishment cost which

was preposed in the current year's budget will increase from Rs. 28.14 lakhs to Rs. 30.93 lakhs and the percentage of establishment cost will change from 3.1% to 3.5% which is nominal increase.

ANNEXURE II

PART "A" STAFF OF ACCOUNTS DEPARTMENT.

480 -41

ACCOUNTS OFFICER I

ACCOUNTS OFFICER II

| <u>Name</u>         | <u>Cash Section I</u> | <u>G.P.F./Pension</u> | <u>Treasury</u> | <u>Name</u>         | <u>Cash Section II</u> | <u>Budget</u> | <u>Bank Recon-<br/>ciliation.</u> |
|---------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------|---------------------|------------------------|---------------|-----------------------------------|
| Accountant          | 1                     | 1                     | -               | Accountant          | 1                      | 1             | 1                                 |
| Accounts Clerks     | 4                     | 3                     | -               | Asstt. Accountants  | 1                      | -             | 2                                 |
| Second grade clerks | 2                     | -                     | -               | Accounts Clerks     | 4                      | 2             | 3                                 |
| Head cashiers       | -                     | -                     | 1               | Second grade clerks | 2                      | -             | -                                 |
| Asstt. cashiers     | -                     | -                     | 3               | Peons               | 2                      | 1             | 1                                 |
| Peons               | 2                     | 2                     | 2               |                     |                        |               |                                   |
| Gunman              | -                     | -                     | 2               |                     |                        |               |                                   |
|                     | <u>9</u>              | <u>6</u>              | <u>8</u>        |                     | <u>10</u>              | <u>4</u>      | <u>7</u>                          |

PART "B" NEW DEPARTMENT TO BE CONSTITUTED OF COSTING/FINANCES/INTERNAL AUDIT.

ACCOUNTS OFFICER III

ACCOUNTS OFFICER IV

Costing & Finances

Internal Audit Section

General Staff.

|                     |           |                     |          |                    |           |
|---------------------|-----------|---------------------|----------|--------------------|-----------|
| Accountant          | 1         | Senior Auditor      | 1        | Deptt. Accountants | 4         |
| Accounts Clerk      | 3         | Junior Auditor      | 2        | Accounts Officer   | 4         |
| Second grade clerks | 2         | Accounts clerks     | 2        | Steno              | 2         |
| Junior Engineer     | 2         | Second grade clerks | 2        | Orderly            | 6         |
| Peons               | 2         | Peons               | 2        | Peons for camp     | 2         |
|                     |           |                     |          | Farrash            | 1         |
|                     |           |                     |          | Daftari            | 1         |
|                     | <u>10</u> |                     | <u>9</u> | Total              | <u>20</u> |

NOTE: Financial Implications given in Annexure III (A & B)

ANNEXURE III  
PART "A" EXISTING ACCOUNTS DEPARTMENT.

900-42

| Sl. No. | Name of posts          | Scale                      | Total No. of Posts | Existing numbers | Additional numbers | Total emoluments at present admissible | Total expenditure column. |
|---------|------------------------|----------------------------|--------------------|------------------|--------------------|----------------------------------------|---------------------------|
| 1       | 2                      | 3                          | 4                  | 5                | 6                  | 7                                      | 8                         |
| 1.      | Chief Accounts Officer | (to be appointed by Govt.) |                    |                  |                    |                                        |                           |
| 2.      | Accounts Officer       | 550 - 1200                 | 2                  | 2(A.A.O.)        | -                  | Rs. 900                                | Rs. 1800/-                |
| 3.      | Accountants            | 350 - 700                  | 5                  | 2                | 3                  | Rs. 600                                | Rs. 3000/-                |
| 4.      | Asstt. Accountants     | 300 - 500                  | 3                  | 1                | 2                  | Rs. 550                                | Rs. 1650/-                |
| 5.      | Accounts clerks        | 230 - 385                  | 16                 | 6                | 10                 | Rs. 400                                | Rs. 6400/-                |
| 6.      | Deptt. Accountants     | 230 - 460                  | 4                  | 2                | 2                  | Rs. 800                                | Rs. 2000/-                |
| 7.      | Second grade clerks    | 200 - 320                  | 4                  | 4                | -                  | Rs. 350                                | Rs. 1400/-                |
| 8.      | Head Cashier           | 280 - 460                  | 1                  | -                | 1                  | Rs. 500                                | Rs. 500/-                 |
| 9.      | Asstt. Cashier         | 230 - 385                  | 3                  | 3                | -                  | Rs. 400                                | Rs. 1200/-                |
| 10.     | Stenos                 | 300 - 500                  | 1                  | 1                | -                  | Rs. 550                                | Rs. 550/-                 |
| 11.     | Orderlies              | 165 - 215                  | 3                  | -                | 3                  | Rs. 310                                | Rs. 930/-                 |
| 12.     | Peons                  | 165 - 215                  | 10                 | 4                | 6                  | Rs. 280                                | Rs. 1680/-                |
| 13.     | Peons for camp         | 165 - 215                  | 1                  | -                | 1                  | Rs. 280                                | Rs. 280/-                 |
| 14.     | Daftari                | 170 - 225                  | 1                  | -                | 1                  | Rs. 300                                | Rs. 300/-                 |
| 15.     | Gunman                 | 170 - 225                  | 2                  | 1                | 1                  | Rs. 300                                | Rs. 600/-                 |

22,290/- per month

x 12

2,67,480/-

1,20,000/-

1,47,480/-

Excess expenditure other than pay of CAO/contingencies & Pensionary Contribution etc.

PART "B" NEW DEPARTMENT OF COSTING/FINANCE/INTERNAL AUDIT.

|     |                       |            |   |   |   |            |            |
|-----|-----------------------|------------|---|---|---|------------|------------|
| 1.  | Cost Accounts Officer | 800 - 1450 | 1 | 1 | - | Rs. 1200/- | Rs. 1200/- |
| 2.  | Accounts Officers     | 550 - 1200 | 2 | - | 2 | Rs. 900/-  | Rs. 1800/- |
| 3.  | Accountants           | 350 - 700  | 1 | - | 1 | Rs. 600/-  | Rs. 600/-  |
| 4.  | Accounts clerk        | 230 - 350  | 5 | - | 5 | Rs. 400/-  | Rs. 2000/- |
| 5.  | Second grade clerks   | 200 - 320  | 4 | - | 4 | Rs. 350/-  | Rs. 1400/- |
| 6.  | Junior Engineer       | 300 - 500  | 2 | - | 2 | Rs. 550/-  | Rs. 1100/- |
| 7.  | Senior Auditor        | 350 - 700  | 1 | - | 1 | Rs. 600/-  | Rs. 600/-  |
| 8.  | Junior Auditor        | 300 - 500  | 2 | - | 2 | Rs. 550/-  | Rs. 1100/- |
| 9.  | Stenos                | 300 - 500  | 1 | - | 1 | Rs. 550/-  | Rs. 550/-  |
| 10. | Orderlies             | 165 - 215  | 3 | - | 3 | Rs. 310/-  | Rs. 930/-  |
| 11. | Peons                 | 165 - 215  | 4 | - | 4 | Rs. 280/-  | Rs. 520/-  |
| 12. | Peons for camp        | 165 - 215  | 1 | - | 1 | Rs. 280/-  | Rs. 280/-  |
| 13. | Farrash               | 165 - 215  | 1 | - | 1 | Rs. 280/-  | Rs. 280/-  |

28

13,360/- per month

x12  
1,60,320

(-) 14,400

Rs. 1,45,920/-

Excess expenditure other than contingencies & Pensionary contribution.

विकास प्राधिकरण के विचाराधीन आख्या

लक्षनऊ विकास प्राधिकरण के पास इस समय निम्न गण्डिया है :-

|              |   |   |
|--------------|---|---|
| १- टक        | ५ | ₹ |
| २- टकर       | १ | ₹ |
| ३- स्टाफ कार | ४ | ₹ |
| ४- जोप       | ३ | ₹ |
| ५- रीसर      | २ | ₹ |
| ६- बुलडीजर   | १ | ₹ |

उक्त वाहनो का रखरखाव अभी तक महापालिका वकैशाप द्वारा कराया जा रहा है । तथा इस पर आने वाले सब विकास प्राधिकरण द्वारा किये जा रहे है । अब विकास प्राधिकरणके विस्तार के साथ साथ दो प्रकार की व्यवहारिक कठिनाईयाँ इसमें आ रही है । एक तो गण्डियो की मरम्मत के संबंध में प्रशासनिक नियंत्रण नहीं है रह पाता है दूसरे गण्डियो की मरम्मत में बहुत समय लगता है इसलिये उचित होगा कि विकास प्राधिकरण अपना दो-जे वकैशाप स्थापित करें जिससे विकास प्राधिकरण के विस्तार के साथ साथ वकैशाप का भी धीरे धीरे विस्तार किया जायेगा । प्रथम चरण में केवल गण्डियो की रनिंग मरम्मत तथा सर्विसिंग किया जाना ही संभव हो सकेगा । बकद में धीरे धीरे पूर्ण विकासितवकैशाप में परिवर्तित कर लिया जायेगा । यह वकैशाप लक्षन टीला स्थित पैपिंग स्टेशन जाँकि किसी समय नजूल पाक्री में रा वाटर सप्लाई के लिये स्थापित किया गया था परन्तु अब बन्द पड्डा है, से सर्वद मृत्ति पर बनाया जाना प्रस्तावित है । इस वकैशाप हेतु निम्नलिखित स्टाफ की आवश्यकता होगी :

|                          |   | वैतन कम   | कुल वैतन देय प्रतिमाह |
|--------------------------|---|-----------|-----------------------|
| १- डीजल मैकेनिक          | १ | ₹ २४०-२८० | ₹ ३६०/-               |
| २- पेट्रोल               | १ | ₹ २३०-२८० | ₹ ३६०/-               |
| ३- ड्राइव इंजिनियरी शियन | १ | ₹ १७६-२५० | ₹ ३६०/-               |
| ४- मिटर                  | ३ | ₹ १७६-२५० | ₹ ७५०/-               |
| ५- लीनर                  | २ | ₹ १७०-२२५ | ₹ ४५०/-               |
| ६- स्टीर लीनर            | १ | ₹ २३०-३८० | ₹ ४००/-               |
| ७- स्टीर हेल्पर          | १ | ₹ २००-३२० | ₹ ३००/-               |
| ८- जी.डी.ए.ए.            | १ | ₹ १६५-२२५ | ₹ ४००/-               |

उल्लिखित स्टाफ पर लगभग ४२०००/- प्रतिवर्ष व्यय आयेगा । कर्मचारियों का शासन द्वारा स्वीकृतिवैतनमान एवं भत्ता देय होगा । इसके अतिरिक्त लगभग ५०,०००/- टूल्स तथा प्लान्ट्स पर एवं वकैशाप के निर्माण कार्य में लगभग ५०,०००/- व्यय होगा । अतः विकास प्राधिकरण के समक्ष उल्लिखित पदों के सृजन एवं व्यय की स्वीकृति प्रदान करने हेतु विषय प्रस्तुत है ।

हो श्यामजी श्रीवास्तव  
नगर अभियन्ता ( विकास )

पत्रिका/उपाध्यक्ष

उपरि उक्त विषय की विकास प्राधिकरण की बैठक में प्रस्तुत करने की स्वीकृति प्रदान करने की कृपया करें ।

हो रामश्यामजी श्रीवास्तव  
मुख्य अभियन्ता

विकास प्राधिकरण के विचारार्थ आख्या

31/11-8

विभाग :- अभियन्त्रण विकास

विषय :- लखनऊ शहर के प्रमुख भागों पर स्थित भवनों के अग्रभागों को रंगाई एवं नरम्भत विषयक आख्या ।

उपरोक्त विषय पर विकास प्राधिकरण को बैठक दिनांक -

- 10-10-77 में प्रस्ताव सं० 16 द्वारा निम्नलिखित निर्णीत हुआ था ।
- 16- लखनऊ नगर के प्रमुख भागों पर स्थित भवनों के नरम्भत तथा रंग रोशन के कार्य में सम्बंधित ठेकेदारों के बकाया भुगतान के सम्बंध में ।
- 16-1 हाइ वोल्टर कमेटी द्वारा यह निर्णय ही चुका है कि इस कार्य को आगे स्थगित रखा जाय। प्राधिकरण अवगत हुआ कि 12-76 लाख ₹० डिमांड के विरुद्ध अब तक के 5-5 लाख ₹० वृत्त प्राप्त हुये है। प्राधिकरण द्वारा कराये गये कार्य का अनुमानित व्यय ₹० 8-5 लाख है। प्राधिकरण यह सह सूच करता है कि कार्य करने वाले ठेकेदारों को बकाया धनराशि को आवश्यकता है।
- 16-2 प्राधिकरण को आर्थिक स्थिति को देखते हुये यह भुगतान एक साथ नहीं किया जा सकता है। अतस्व भुगतान स्टेजर्ड (Stage-wise) रूप में किया जाय।
- 16-3 भुगतान के लिए शासन को लिखा जाय कि वे कृपया स्पष्ट करें कि प्राधिकरण यह भुगतान किस निधि से निकाल कर नियमानुसार दूसरे निधि में स्थान्तरित करके किस प्रकार कर सकता है।
- 16-4 अधिभोगियों से धनराशि को प्राप्त सूचना विकास प्राधिकरण को आगामे बैठक में प्रस्तुत की जाय।

इसो बीच विभाग के ठेकेदारों ने अपने देयकों को भुगतान के सम्बंध में काम जोड़ दिया। क्योंकि इस मद् में धन न होने के कारण उनके देयकों का भुगतान नहीं किया जा सका अतः अक्षय महोदय से विकास प्राधिकरणको स्वीकृति मिल जाने को प्रत्याशा में स्वीकृति लेकर देयकों को आंशिक भुगतान हेतु 1-68 लाख ₹० प्राधिकरण के जनरल फंड से ट्रान्स्फर कर ठेकेदारों को भुगतान कर दिया जा रहा गया ।

लाल बाग क्षेत्र के अधिभोगियों से रंगाई एवं नरम्भत को धनराशि ₹० 11,584/- भू-राजस्व के रूप में वसूल करने हेतु जिलाधिकारी, लखनऊ में अनुरोध किया जा चुका है।

अन्य क्षेत्र के अधिभोगियों से प्राप्त होने वाले धनराशि को स्वीचियाँ तैयार की जा रही है। एवं शोध ही जिला अधिकारी लखनऊ को भेज दो जायेगी । अतः विकास प्राधिकरण 1-68 लाख ₹० को धनराशि जनरल फंड से आहरण करने को औपचारिक स्वीकृति प्रदान करने हेतु विषय प्रस्तुत है ।

30/11/77  
(रमान जो शोधासय)  
नगर अभियन्ता (विकास)

उपाध्यक्ष/सचिव

उपरोक्त विषय लखनऊ विकास प्राधिकरण के समक्ष प्रस्तुत करने को कृपया स्वीकृति प्रदान करने को कृपा करें ।

30/11/77  
( आबू रान )  
सचिव,

30/11/77  
( एन०बी० लाल )  
उपाध्यक्ष,

24/11/77  
(एन०एन०पी०बी०वाल)  
उप अभियन्ता,

लखानऊ विकास प्राधिकरण की बैठक दिनांक 12-12-77, जो आयुक्त,  
लखानऊ मण्डल, लखानऊ के कार्यालय में हुई, का कार्यवृत्त

- 0 - 0 -

उपस्थिति :

- |                            |                                                                                 |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| 1- श्री बी० जे० खोदायजी    | - अध्यक्ष/आयुक्त एवं सचिव,<br>आवास एवं नगर विकास,<br>उत्तर प्रदेश शासन, लखानऊ । |
| 2- श्री राममणि पाण्डेय     | - उप सचिव, वित्त विभाग,<br>उत्तर प्रदेश शासन, लखानऊ ।                           |
| 3- श्री योगेन्द्र नारायण   | - जिलाधिकारी, लखानऊ ।                                                           |
| 4- श्री बाबू राम           | - सचिव/उपाध्यक्ष,<br>लखानऊ विकास प्राधिकरण                                      |
| 5- श्री जयन्ती प्रसाद दुबे | - मुख्य ग्राम एवं नगर नियोजक,<br>उत्तर प्रदेश, लखानऊ ।                          |
| 6- श्री जे०के० तनेजा,      | - अधीक्षण अभियन्ता, तृतीय वृत्त,<br>उ०प्र० जल निगम, लखानऊ ।                     |
| 7- श्री आर० छान,           | - अधिशासी अभियन्ता, जल निगम,<br>उ०प्र०, लखानऊ ।                                 |

विशेष प्रस्ताव संख्या -1 :

विकास प्राधिकरण की बैठक दिनांक 30-11-77 तथा 12-12-77  
के कार्यवृत्त का पुष्टिकरण आगामी बैठक में किया जायगा ।

विशेष प्रस्ताव संख्या -2 :

विकास प्राधिकरण की बैठक दिनांक 10-10-77 तथा 30-11-77  
एवं 12-12-77 में लिये गये निर्णय के अनुसार कार्यान्वयन के सम्बन्ध में  
प्रगति आख्या आगामी बैठक में अवश्य प्रस्तुत की जायेगी ।

विषय संख्या -1 : लखानऊ विकास प्राधिकरण के स्थापना से पहिले के ऋणों  
की वास्तविक स्थिति और वसूली की प्रगति इत्यादि ।

1.1 यह निर्णय लिया गया कि नगर महापालिका, लखानऊ के प्रारम्भ  
से, प्राधिकरण की आगामी बैठक में निम्नलिखित सूचना अवश्य  
प्रस्तुत की जाय :-

"सूचना के लिये प्रपत्र संलग्न है"

क्रमशः - - "2"

| 1                                      | 2              | 3                                                               | 4                                                    | 5                                                     | 6                 | 7                                             | 8                            | 9                | 10                   | 11                                    | 12                                  | 13        | 14                                    | 15    |
|----------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------|------------------------------|------------------|----------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|-----------|---------------------------------------|-------|
| स्कीम का नाम जिसके लिये ऋण स्वीकृत हुआ | उपयोगित धनराशि | यदि स्वीकृत धन दूसरी स्कीम में व्यय किया गया तो इसकी कुल धनराशि | 1959-74 तक लिया गया ऋण की धन-राशि <u>॥कुमानुसार॥</u> | 1974-77 तक लिये गये ऋण की धन-राशि <u>॥कुमा-नुसार॥</u> | श्रेणी वार विव-रण | प्रत्येक वर्ष में उपयोग किया गया ऋण की धनराशि | ऋणों को भुग-लान की गई किरतों | किरतों की संख्या | प्रति शत व्याज की दर | स्वीकृत का शासनादेश संख्या तथा दिनांक | प्रति शत ऋण के प्रति-दान की धन-राशि | अवृक्त ऋण | ऋण से पोषित योजना द्वारा आय की धनराशि | विवरण |

1.2: आगामी बैठक में संशोधित व्ययानुमान वित्तीय वर्ष 1977-78 प्रस्तुत किया जाय ।

1.3: प्रत्येक योजना जिसके विस्तृत ऋण आदि प्राप्त किये गये हैं, उनका अलग-अलग विवरण करते हुये उपाध्यक्ष की टिप्पणी के साथ विवरण प्रस्तुत किया जाय ।

विषय संख्या -2: अलीगंज मार्ग एवं नगर प्रसार योजना में गृह निर्माण समितियों की भूमि को अर्जुन से मुक्त करने तथा वैकल्पिक भूमि दिये जाने के सम्बन्ध में ।

2.1: सर्व प्रथम अध्यक्ष महोदय ने निर्देश दिया कि इस सम्बन्ध में जितनी भी सोसायटीज़ हैं उन पर अलग-अलग विचार-विमर्श किया जाना उचित होगा ।

2.2: विचार-विमर्श के पश्चात् सर्वप्रथम अलकापुरी गृह निर्माण समिति के सम्बन्ध में निम्नलिखित निर्णय लिया गया :-

“प्राधिकरण ने अलकापुरी गृह निर्माण समिति के मामले में विस्तार से केस को देखा लिया और प्राधिकरण का यह मत है चूंकि सोसायटी ने अधिग्रहण वर्ष 1962 के बाद भूमि क्रय की है अतः क- इस समिति के लिये अलग से व्यवहार करना औचित्यपूर्ण प्रतीत नहीं होता ।

ख- इस समिति के साथ शासन तथा महापालिका ने समय-समय पर अलग-अलग दृष्टिकोण अपनाया है और वर्ष 1974 में यह दृष्टिकोण अक्षम है और रखा कि इस समिति की प्रार्थना में बल नहीं है, अस्तु समिति के लिये उदारतापूर्वक नीति अपनाना उचित नहीं लाता ।

ग- यह सब होते हुये यह आवश्यक है कि यह मामला जो इस प्रकार से जटिल हो गया है उस पर यदि शासन आवश्यक समझे तो विधिक राय ले ले और तदुपरान्त शासन जैसा उपयुक्त समझे, उचित निर्णय लेकर प्राधिकरण को तदनुसार निर्देशित करे ।”

2.3: नरेन्द्र नगर हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसायटी के केस पर विचार किया गया और पाया कि सोसायटी का रजिस्ट्रेशन 1950 में हुआ किन्तु सोसायटी ने भूमि योजना के अध्यापन के पश्चात् क्रय किया है और भूमि-क्रय 1962 से 1972 तक जारी रखा । प्राधिकरण ने पूर्णरूप से विचार करने के पश्चात् उचित समझा कि इस सोसायटी को भूमि आवण्टित करने में विशेष व्यवहार करना औचित्यपूर्ण नहीं रहेगा ।

- 2.4: श्रीपुर सहकारी गृहनिर्माण समिति के मामले को ठीक से समझा गया और पाया गया कि इस सोसायटी का रजिस्ट्रेशन 1967 में हुआ, और भूमि भी प्रथम बार 1969 में क्रय की गई। अतएव जो सिद्धान्त प्राधिकरण ने नरेन्द्र नगर हाउसिंग कोआपरेटिव सोसायटी के साथ अपनाया है उसी के अनुसार इस सोसायटी के साथ भी विशेष व्यवहार करना उचित न होगा।
- 2.5: लखानऊ विश्वविद्यालय सहकारी गृह निर्माण समिति के मामले पर भी विचार किया गया और पाया गया कि इस सोसायटी ने भी भूमि 1973 में क्रय किया है, जब कि योजना विज्ञापित हुये ग्यारह वर्ष व्यतीत हो चुके थे। अतः इस सोसायटी के साथ विशेष व्यवहार अपनाना औचित्यपूर्ण प्रतीत नहीं होता।
- 2.6: पुवीण भवन निर्माण कोआपरेटिव सोसायटी के मामले पर विचार किया गया और पाया गया कि इस सोसायटी का रजिस्ट्रेशन योजना के प्रकाशन के पश्चात् हुआ है और भूमि का क्रय भी अध्यापित के बाद 1972 में किया गया है। अतः इस सम्बन्ध में भी विशेष व्यवहार करने का कोई औचित्य नहीं है।
- 2.7: लखानऊ जन-कल्याण सहकारी गृह निर्माण समिति के मामले पर भी विचार किया गया और पाया गया कि सोसायटी के पक्ष में कोई भूमि रजिस्टर्ड नहीं है। अतः इस सोसायटी के पक्ष में भी विशेष व्यवहार करना ठीक न होगा।
- 2.8: बन्दु सहकारी गृह निर्माण समिति के मामले में भी विचार किया गया और पाया गया कि उक्त समिति द्वारा योजना के अध्यापन के बहुत बाद भूमि क्रय की गई है। अतएव इसके भी पक्ष में विशेष व्यवहार करना औचित्यपूर्ण नहीं है।
- 2.9: शहीद चन्द्र शेखर आज़ाद सहकारी गृह निर्माण समिति के मामले पर विचार किया गया और पाया गया कि समिति के पक्ष में अभी तक कोई भूमि रजिस्टर्ड नहीं है अतः भूमि दिये जाने के सम्बन्ध में विचार किये जाने का प्रश्न नहीं उठता।
- 2.10: पुरनियाँ सहकारी गृह निर्माण समिति के मामले पर भी विचार किया गया और पाया गया कि भूमि सोसायटी के पक्ष में रजिस्टर्ड नहीं है। अतः इसके सम्बन्ध में विचार करने का कोई औचित्य नहीं है।

2.11: आज़ाद सहकारी गृह निर्माण समिति एवं नन्द विलियम गृह निर्माण सहकारी समिति का मामला प्राधिकरण ने अच्छी तरह देखा लिया और पाया गया कि उपरोक्त समितियों के पक्ष में भूमि रजिस्टर्ड नहीं है। अतएव कोई भी सोसायटी छूट पाने की हकदार नहीं है।

विषय संख्या -3 : विभागीय निर्माण इकाई के गठन का अनुमोदन।

3.1: प्राधिकरण के निर्माण कार्यों के लिये विभागीय निर्माण इकाई के गठन की अनुमति दी जाती है। प्राधिकरण के पास प्राविधिक स्टाफ पहिले से मौजूद है परन्तु अप्राविधिक स्टाफ की आवश्यकता औचित्यपूर्ण ढंग से आँकी जाय और प्राधिकरण के सम्मुखा प्रस्ताव अगली बैठक में रखा जाये। इस कार्य के लिये द्वि-सदस्यीय समिति गठित की गई। जिसके सदस्य सचिव, विकास प्राधिकरण एवं उप सचिव वित्त रहेंगे।

विषय संख्या -4: ओल्ड पोस्ट आफिस में बन रहे बहुछाण्डी भवन की जाँच के सम्बन्ध में।

4.1: विवार विमर्श के पश्चात् यह निर्णय लिया गया कि इस विषय पर विवार करते समय राजकीय निर्माण निगम के प्रबन्धक निदेशक श्री पी०एन० राय का होना आवश्यक है। अतः लखनऊ विकास प्राधिकरण की आगामी बैठक में यह विषय पुनः खिचाराय प्रस्तुत किया जाय और उसमें श्री पी०एन० राय, प्रबन्ध निदेशक, राजकीय निर्माण निगम तथा बहुछाण्डी भवन निर्माण के विशेषज्ञ श्री ओ०पी० जैन, हेड ऑफ डिपार्टमेंट, सड़की युनिवर्सिटी को भी उपस्थित होने के लिये अनुरोध किया जाय।

विशेष प्रस्ताव संख्या -3:

निर्णय लिया गया कि अध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण से पूँछकर आगामी बैठक की तिथि और समय शीघ्र ही निश्चित करा लिया जाय, जिसमें विकास प्राधिकरण की बैठक दिनांक 30-11-77 तथा 12-12-77 के अवशेष विषयों तथा अन्य महत्वपूर्ण विषयों पर विवार किया जायगा।

ह०/- बाबू राम  
॥ बाबू राम ॥  
उपाध्यक्ष  
लखनऊ विकास प्राधिकरण।

ह०/- बी० जे० खोदायजी  
॥ बी० जे० खोदायजी ॥  
कार्यवाहक अध्यक्ष  
आयुक्त एवं सचिव,  
आवास एवं नगर विकास,  
उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।